रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्) [संख्या 1

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1–14	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1–44	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	1–18	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	1–4	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1–28	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	1–3	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अतुल कुमार श्रीवास्तव,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

11 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1470/22-1-2020-107/99—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथासंशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी-1, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 यथासंशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम
1	श्री वीरेश राज
2	श्रीमती अमिता दुबे
3	श्री विनोद कुमार
4	श्री आशीष तिवारी
5	श्री विपिन कुमार मिश्र
6	श्री रंग बहादुर

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-2

नियुक्ति/तैनाती

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1194/सोलह-2-2020—प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक में प्रवक्ता प्रिन्टिंग टेक्नालॉजी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता प्रिन्टिंग टेक्नालॉजी के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें निम्नलिखित तालिका के कालम-4 में उल्लिखित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	स्थायी पता	तैनाती हेतु संस्था का नाम
1	2	3	4
1	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री रविन्द्र नाथ	जसरा न्यू बाजार, जसरा, प्रयागराज, उ0प्र0-212107	राजकीय पालीटेक्निक, चन्दौसी, संभल।

2—सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3—सम्बन्धित अभ्यर्थी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5—उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सम्बन्धित अभ्यर्थी 02 वर्ष के विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

आज्ञा से,
सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

14 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1710/81-1-2020-52/2011—श्री सुनील पाण्डेय, भा0व0से0 (उ0प्र0-1984) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ को डा0 राजीव कुमार गर्ग, भा0व0से0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष, दिनांक 01 जनवरी, 2021 के पूर्वान्ह से प्रधान मुख्य वन संरक्षक बतौर हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स, एपेक्स वेतनमान रु0 2,25,000.00 (नियत) (इन द पे मैट्रिक्स लेवल-17) अनुमन्य करते हुये प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

उद्यान विभाग

नियुक्ति

25 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1892/58-2020-389/2016—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, श्री अरूण कुमार तिवारी पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी, निवासी-ग्राम-खानपुर (पूरे रिसाल तिवारी), पोस्ट—खानपुर, जनपद—अयोध्या (फैजाबाद) (जन्म-तिथि 30 जून, 1985) को जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी-2, ग्रेड-2 वेतनमान रु0 9,300-34,800, पे मैट्रिक्स लेवल-8 (ग्रेड वेतन 4,800) के पद पर अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति मु0अ0सं0 240/08, धारा 143, 379, 504, 506 आई0पी0सी0 एवं वाद संख्या 3175/2009, धारा 323, 504 आई0पी0सी0 में लम्बित वादों में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन निम्न शर्तों के साथ किये जाने के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं :

1—श्री अरूण कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (समूह-ख) सेवा नियमावली, 1993 यथासंशोधित में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे।

2—श्री अरूण कुमार तिवारी को उल्लिखित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हो, देय होंगे।

3—उत्तर प्रदेश अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4—सम्बन्धित अधिकारी एक माह के अन्दर निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, 2-सप्रू मार्ग, उ0प्र0, लखनऊ में योगदान अवश्य ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जायेगा।

5—योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

6—श्री अरूण कुमार तिवारी को योगदान करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तुत करने होंगे—

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सेवा में सक्रिय हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।
(2) ओथ ऑफ एलीजिन्यस का प्रमाण-पत्र।
(3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
(4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
(5) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

7—श्री अरूण कुमार तिवारी की ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी।

8—श्री अरूण कुमार तिवारी अपनी योगदान रिपोर्ट की प्रति शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-12

पदोन्नति

08 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5/2020/476/27-12-2020-4(14)/15 टी0सी0-4—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संस्तुत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/परियोजना में कार्यरत निम्नलिखित अवर अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2018-19 एवं 2019-2020 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

चयन वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रमांक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री—
1	258	राजेन्द्र यादव
2	259	देवेन्द्र सिंह यादव
3	260	प्रहलाद सिंह मनराल
4	262	विवेक कुमार श्रीवास्तव
5	263	राकेश कुमार श्रीवास्तव
6	265	रूद्र प्रताप श्रीवास्तव
7	266	विनय कुमार मौर्या
8	270	राम कुमार शर्मा
9	271	वीरेन्द्र नाथ मिश्र
10	273	देवेन्द्र प्रताप शुक्ल
11	281	नन्हूमल दिवाकर
12	283	पुजारी सिंह
13	285	विनोद राव
14	286	नरेन्द्र बहादुर सिंह

चयन वर्ष 2019-20

क्र0 सं0	ज्ये0 क्रमांक	नाम
1	277	श्री महेश चन्द्र

2—पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे तथा उनकी वरिष्ठता पृथक से अवधारित की जायेगी।

3—भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (71)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-71 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000112519) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री लोकेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार मिश्र, निवासी-ग्राम-पहाड़पुर कलॉ, पोस्ट-हरीपुर, जिला-सुल्तानपुर, उ0प्र0-228161 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, टीकरमाफी, अमेठी में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (76)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-76 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000216764) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अजय कुमार सिंह, निवासी-ग्राम-दसईपुर, पोस्ट-टिकरिया (रामगंज), जनपद-अमेठी, उ0प्र0-228159 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कांधरपुर, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (89)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-89 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000298102) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री दीपिका द्विवेदी पुत्री श्री हरि शंकर द्विवेदी, निवासी-बी-123, फ्लैट नं0-12, कैलाश अपार्टमेण्ट, बृज इन्क्लेव कालोनी, सुन्दरपुर, जिला-वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जमुई, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (90)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-90 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000241089) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री जयप्रकाश यादव, निवासी-ग्राम-नारायणपुर, पोस्ट-मैढी, जिला-चन्दौली, उ0प्र0-232104 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कोटा, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (93)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त

संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-93 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000206785) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ज्योति कुशवाहा पुत्री श्री गोविन्द कुशवाहा, निवासी-S 1/2 K-1A, चुप्पेपुर, शिवपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (100)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-100 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000259839) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नीरज मिश्रा पुत्र स्व0 घनश्याम मिश्रा, निवासी-तारानगर कॉलोनी, छित्तूपुर, बी0एच0यू0 लंका, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पिपरा, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (101)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-101 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000087709) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अतुल कुमार बरनवाल पुत्र श्री नन्द किशोर बरनवाल, निवासी-ग्राम व पोस्ट-धौरहरा, थाना-चौबेपुर, जिला-वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नारीपचदेवरा, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–40 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

November 02, 2020

No. 2007/Admin.(Services)-2020–Sri Ashok Kumar-XII, Civil Judge, Senior Division, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur *vice* Sri Dhirendra Singh.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 2008/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government's Office Memorandum No. 689/II-4-2020-15(10)/1994, dated 29-10-2020, Sri Dhirendra Singh, Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur is appointed/posted as Registrar in U.P. Real Estate Appellate Tribunal, Lucknow on deputation basis.

No. 2009/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 33/2020/1697/Saat-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated 26-10-2020, Sushri Shweta Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Jalaun at Orai is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at Tehsil Madhogarh, District Jalaun at Orai in the newly created court created vide G.O. No. 25/2015/1462/ Saat-Nyay-2-2015-216G/2007, dated 24-11-2015.

November 03, 2020

No. 2010/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyaya-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Brijesh Kumar Mishra, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hathras is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Bara Banki.

No. 2011/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Avinash Saksena, Principal Judge, Family Court, Bara Banki is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Lucknow.

No. 2012/Admin.(Services)-2020–Sri Divesh Chandra Samant, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Lucknow to be District & Sessions Judge, Kasganj.

No. 2013/Admin.(Services)-2020–Smt. Jyotsana Sharma, District & Sessions Judge, Kasganj to be District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 2014/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Avinish Saxena, District & Sessions Judge, Jhansi is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Allahabad.

No. 2015/Admin.(Services)-2020–Sri Rameshwar, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Allahabad to be District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 2016/Admin.(Services)-2020–Sri Raghvendra, District & Sessions Judge, Ghazipur to be District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 2017/Admin.(Services)-2020–Sri Syed Aftab Husain Rizvi, District & Sessions Judge, Hardoi to be District & Sessions Judge, Ballia.

No. 2018/Admin.(Services)-2020–Sri Gajendra Kumar, District & Sessions Judge, Ballia to be District & Sessions Judge, Banda.

No. 2019/Admin.(Services)-2020–Sri Radhey Shyam Yadava, District & Sessions Judge, Banda to be District & Sessions Judge, Bara Banki.

No. 2020/Admin.(Services)-2020–Smt. Sadhna Rani (Thakur), District & Sessions Judge, Mathura to be District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 2021/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Shiv Shanker Prasad, District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Gautam Buddha Nagar.

No. 2022/Admin.(Services)-2020–Sri Chawan Prakash, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Gautam Buddha Nagar to be District & Sessions Judge, Mathura.

No. 2023/Admin.(Services)-2020–Sri Umesh Chnadra Sharma, District & Sessions Judge, Varanasi to be District & Sessions Judge, Meerut.

No. 2024/Admin.(Services)-2020–Sri Nalin Kumar Srivastava, District & Sessions Judge, Meerut to be District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 2025/Admin.(Services)-2020–Sri Surendra Singh-I, District & Sessions Judge, Balrampur to be Presiding Officer, Commercial Court, Gorakhpur.

No. 2026/Admin.(Services)-2020–Sri Inder Preet Singh Josh, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Buddha Nagar to be Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Buddha Nagar.

No. 2027/Admin.(Services)-2020–Sri Mukesh Mishra, Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Buddha Nagar to be District & Sessions Judge, Agra.

No. 2028/Admin.(Services)-2020–Sri Mayank Kumar Jain, District & Sessions Judge, Agra to be District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 2029/Admin.(Services)-2020–Sri Ashok Kumar Singh-III, District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be District & Sessions Judge, Farrukhabad.

No. 2030/Admin.(Services)-2020–Sri Kautilya Gaur, Chairman, State Transport Appellate Tribunal, U.P., Lucknow to be Presiding Officer, Commercial Court, Jhansi.

No. 2031/Admin.(Services)-2020–Sri Saket Bihari 'Deepak', Presiding Officer, Commercial Court, Allahabad to be District & Sessions Judge, Shravasti.

No. 2032/Admin.(Services)-2020–Sri Jai Prakash Yadav, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Fatehpur to be Presiding Officer, Commercial Court, Allahabad.

No. 2033/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Griesh Kumar Vaish, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Basti is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Basti.

No. 2034/Admin.(Services)-2020–Sri Vinai Kumar Dwivedi, Presiding Officer, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority, Basti to be District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 2035/Admin.(Services)-2020–Sri Gaurav Kumar Srivastava, District & Sessions Judge, Chandauli to be District & Sessions Judge, Rampur.

No. 2036/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Smt. Sangeeta Srivastava, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar.

No. 2037/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Ajai Kumar Srivastava-II, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sant Kabir Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South).

No. 2038/Admin.(Services)-2020–Sri Gurpreet Singh Bawa, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mahoba to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Raebareli.

No. 2039/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Bhoo Dev Gautam, Additional District & Sessions Judge, Faizabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad.

No. 2040/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Dhanendra Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mahoba.

No. 2041/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Ram Nagina Yadav, Additional Director (Training), Institute of Judicial Training & Research, Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow (North).

No. 2042/Admin.(Services)-2020–Court's Notification No. 3275/Admin.(Services)/2018, dated 13-11-2018 is hereby cancelled.

No. 2043/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 772/2-4-2020-26/2/(3)/1982, dated 28-10-2020, Sri Atul Srivastava, Registrar (Judicial) (Services), High Court of Judicature at Allahabad is appointed/posted as Principal Secretary (Legislative), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 2044/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Rajesh Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Firozabad.

No. 2045/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Shiva Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Shravasti is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Ghazipur.

No. 2046/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Sanjeev Kumar Tyagi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Moradabad is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Sonbhadra.

No. 2047/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Dr. Bal Mukund, Presiding Officer, Special Court (M.P./M.L.A.), Allahabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Fatehpur.

No. 2048/Admin.(Services)-2020–Pursant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Birendra Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahar.

No. 2049/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Ashok Kumar Singh-V, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Gautam Buddha Nagar.

No. 2050/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Rajiv Kamal Pandey, Additional District & Sessions Judge, Varanasi is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Chandauli.

No. 2051/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Smt. Alpana, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Etah.

No. 2052/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Mukesh Kumar Singhal, Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad.

No. 2053/Admin.(Services)-2020–Sri Shesh Mani, Registrar (Judicial) (Litigation), High Court of Judicature at Allahabad to be District & Sessions Judge, Balrampur.

No. 2054/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Ajay Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Kannauj is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bahraich.

No. 2055/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Shamsul Haque, Additional District & Sessions Judge, Hamirpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lalitpur.

No. 2056/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Rajendra Prasad Srivastava-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Agra.

No. 2057/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Rupesh Ranjan, Additional District & Sessions Judge, Sitapur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Mahoba.

No. 2058/Admin.(Services)-2020–Sri Gyanesh Kumar, Joint Registrar (Judicial) (SCMS), High Court of Judicature at Allahabad to be Chairman, State Transport Appellate Tribunal, U.P., Lucknow.

No. 2059/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Smt. Beena Chaudhary, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/ posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hathras.

No. 2060/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Narendra Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Chitrakoot.

No. 2061/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification no. 34/2020/1762/VII-Nyay-

2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Bhagwati Prasad Saxena, Additional District & Sessions Judge, Mirzapur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar.

No. 2062/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Sanjay Kumar Yadav-III, Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Maharajganj.

No. 2063/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Arun Kumar Pathak, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Basti.

No. 2064/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Amar Jeet Verma, Additional District & Sessions Judge, Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Lucknow (South).

No. 2065/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Ashish Jain, Additional District & Sessions Judge, Hathras is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sant Kabir Nagar.

No. 2066/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Shashi Bhushan Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sitapur.

No. 2067/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Randheer Singh, Special Secretary & Additional Legal Remembrancer, Government of Uttar Pradesh, Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mathura.

No. 2068/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Indra Deo Dubey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Allahabad (South).

No. 2069/Admin.(Services)-2020–Sri Sunil Kumar Singh-I, Registrar (Judicial) (Budget), High Court of Judicature at Allahabad to be District & Sessions Judge, Hathras.

No. 2070/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government O.M. No. 753/2-4-2020-26/2/(3)/82 T.C., dated 02-11-2020, Sri Badri Vishal Pandey, Additional District & Sessions Judge, Allahabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ballia.

No. 2071/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Kripa Shankar Sharma, Additional District & Sessions Judge, Kasganj is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Shravasti.

No. 2072/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 34/2020/1762/VII-Nyay-2-2020-58G/2001, dated 29-10-2020, Sri Sanjay Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Rampur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Siddharthnagar.

No. 2073/Admin.(Services)-2020–Sri Vipin Kumar-I, Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Law), Government of Uttar Pradesh, Lucknow to be Special Judge, Balrampur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant exclusive special court.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 349/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कालीपहाड़ी, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 432-क रकबा 0.210 हे0 मालियत रु0 1,85,850.00 (एक लाख पच्चासी हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		महोबा	कालीपहाड़ी	432-क	0.210 में	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.210		

सं0 350/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम दमौरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाता संख्या 264 में अंकित गाटा संख्या 75 रकबा 0.478 हे0 में से 0.250 हे0 मालियत रु0 2,76,250.00 (दो लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		दमौरा	75	0.478 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 351/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लुहेड़ी, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1473 मि0 रकबा 0.809 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,06,900.00 (एक लाख छः हजार नौ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		लुहेड़ी	1473	0.809 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 352/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम ननौरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1151-ङ मि0 रकबा 0.371 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,06,400.00 (एक लाख छः हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		ननौरा	1151-ङ	हेक्टेयर 0.371 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 353/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम तिन्दौली, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 851-ख मि0 रकबा 1.196 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 19,36,000.00 (उन्नीस लाख छत्तीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		तिन्दौली	851-ख	हेक्टेयर 1.196 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 355/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बगरौन, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 71 मि0 रकबा 0.111 हे0, मालियत रु0 77,700.00 (सतहत्र हजार सात सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		बगरौन	71	हेक्टेयर 0.111	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.111		

सं0 354/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अतरौली, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 297 मि0 रकबा 0.308 हे0 में से 0.186 हे0, मालियत रु0 1,07,880.00 (एक लाख सात हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		अतरौली	297	हेक्टेयर 0.308 में से 0.186	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.186		

20 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 372/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) एवं राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम गोरखा (ग्राम पंचायत गोरखा) तहसील चरखारी, जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम गोरखा (ग्राम पंचायत गोरखा) तहसील चरखारी, जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				खसरा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(हे0 मे0)			(हे0 मे0)	
1	महोबा	चरखारी	गोरखा	759	1.090 सम्पूर्ण	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-1 नवीन परती भूमि	1843-ख	8.815 में से 1.090	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-4 खलिहान

सं0 373/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अरघटमऊ, परगना कुलपहाड़, तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 449 रकबा 1.479 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा		कुलपहाड	अरघट मऊ	449	1.479 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 374/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मुढ़ारी, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 752 रकबा 0.186 हे0, मालियत रु0 1,19,040.00 (एक लाख उन्नीस हजार चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा		कुलपहाड	मुढ़ारी	752	हेक्टेयर 0.186 में से	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.186		

सं0 375/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नगाराडांग, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 887 रकबा 0.607 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा		कुलपहाड	नगाराडांग	887	हेक्टेयर 0.607 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 376/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम चुरारी, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 883 रकबा 0.910 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,92,200.00 (एक लाख बानवे हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		चुरारी	883	हेक्टेयर 0.910 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 377/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम मड़वारी, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 130/1 रकबा 0.202 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		मड़वारी	130/1	हेक्टेयर 0.202 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 378/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम धवार, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 280/1 रकबा 0.101 हे0 व 280/2 रकबा 0.016 कुल रकबा 0.117 हे0, मालियत रु0 74,880.00 (चौहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		धवार	280/1 280/2	हेक्टेयर 0.101 में से 0.016	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.117		

सं0 379/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टुण्डर, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 207 रकबा 0.336 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		टुण्डर	207	हेक्टेयर 0.336 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.160		

सं0 380/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बम्हौरी खुर्द, परगना व तहसील कुलपहाड, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 101/ख रकबा 0.344 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,34,400.00 (एक लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		बम्हौरी खुर्द,	101/ख	हेक्टेयर 0.344 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.160		

सं0 381/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम करहरा खुर्द, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 499क रकबा 0.526 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,08,800.00 (दो लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		करहरा खुर्द	499-क	हेक्टेयर 0.526 में से 0.360	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 382/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अस्थौन, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 424 रकबा 0.315 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 3,52,000.00 (तीन लाख बावन हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		अस्थौन	424	हेक्टेयर 0.315 में से 0.160	श्रेणी-5-1 बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 383/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम उजनेड़ी, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 292 रकबा 0.486 हे0 में से 0.486 हे0, मालियत रु0 2,81,880.00 (दो लाख इक्यासी हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		उजनेड़ी	292	हेक्टेयर 0.486	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.486		

सं0 384/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम रिवई, परगना चरखारी, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 566 रकबा 1.289 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,70,000.00 (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		रिवइ	566	हेक्टेयर 1.289 में से 0.360	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

21 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 390/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 689/एक-1-2020-20(5)/2016, राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम उटिया (ग्राम पंचायत उटिया) तहसील महोबा, जनपद महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम उटिया (ग्राम पंचायत उटिया) तहसील महोबा, जनपद महोबा की भूमि से निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है			गांवसभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है		
				खसरा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महोबा	महोबा	उटिया	529	(हे0 मे0) 1.534 सम्पूर्ण	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	983 1070/21 1083/1 तीन किता	(हे0 मे0) 0.107 0.607 0.829 1.543	श्रेणी-5-3-ङ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के स्थान पर श्रेणी-6-4 खलिहान

सं0 391/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कोहनिया, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 573 रकबा 0.356 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		कोहनिया	573	हेक्टेयर 0.356 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 392/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम घघौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 263 रकबा 1.011 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		घघौरा	263	हेक्टेयर 1.011 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 393/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टिकरिया, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 648 रकबा 0.437 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		टिकरिया	648	हेक्टेयर 0.437 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 394/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बुढ़ी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 92/2 रकबा 0.526 हे0 में से 0.140 हे0, मालियत रु0 1,30,200.00 (एक लाख तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		बुढ़ी	92/2	हेक्टेयर 0.526 में से 0.140	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.140		

सं0 395/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टोला सोयम, परगना कुलपहाड़, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 536 रकबा 0.680 हे0 में से 0.360 हे0, मालियत रु0 2,08,800.00 (दो लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी/कुलपहाड़		टोला सोयम	536	हेक्टेयर 0.680 में से 0.360	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

22 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 409/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सलैया खालसा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 बीहड़ के खाते में अंकित गाटा संख्या 127/5 रकबा 3.084 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		सलैया खालसा	127/5	हेक्टेयर 3.084 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलैया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 410/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गुगौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 224 रकबा 0.057 हे0 व 224/689 रकबा 0.040 हे0, कुल दो किता रकबा 0.097 हे0 मालियत रु0 62,080.00 (बासठ हजार अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		गुगौरा	224 224/689	हेक्टेयर 0.057 में से 0.040	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.097		

सं0 411/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नगाराघाट, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 208/1 रकबा 0.202 हे0 में से रकबा 0.160 हे0, मालियत रु0 1,48,800.00 (एक लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		नगाराघाट	208/1	हेक्टेयर 0.202 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 412/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम उलदन, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 111 रकबा 0.878 हे0 में से 0.250 हे0, मालियत रु0 2,32,500.00 (दो लाख बत्तीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		उलदन	111	हेक्टेयर 0.878 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 413/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 834/9/17 रकबा 23.154 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		सौरा	834/9/17	हेक्टेयर 23.154 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 414/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बम्हौरी/ बेलदारान, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 998 रकबा 0.198 हे0 व गाटा संख्या 999 रकबा 0.138 हे0 कुल रकबा 0.336 हे0, मालियत रु0 2,78,880.00 (दो लाख अठहत्तर हजार आठ सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		बम्हौरी/ बेलदारान	998 999	हेक्टेयर 0.198 में से 0.138	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					दो किता	0.336		

सं0 415/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम चांदौ, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 493 रकबा 0.235 हे0 में से 0.160 हे0, मालियत रु0 3,68,000.00 (तीन लाख अरसठ हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/ मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		चांदौ	493	हेक्टेयर 0.235 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 416/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम करहरा कला, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1165 मि0 रकबा 0.305 हे0 मालियत रु0 2,02,825.00 (दो लाख दो हजार आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		करहरा कला	1165 मि0	0.305	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.305		

सं0 417/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गौरहरी, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 549/2 मि0 रकबा 0.268 हे0 मालियत रु0 2,01,000.00 (दो लाख एक हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी		गौरहरी	549/2	0.268	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.268		

सं0 418/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम स्वासामाफ, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 478ख रकबा 0.352 हे0 में से 0.024 हे0 व 481 रकबा 0.351 हे0 दो किता रकबा 0.375 हे0 सम्पूर्ण मालियत रु0 2,25,000.00 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		स्वासामाफ	478ख	हेक्टेयर 0.352 में से 0.024	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					481	0.351		
					दो किता	0.375		

सं0 419/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लिलवां, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 541 मि0 रकबा 0.154 हे0 मालियत रु0 2,03,563.00 (दो लाख तीन हजार पांच सौ तिरेसठ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		लिलवां	541 मि0	हेक्टेयर 0.154	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.154		

सं0 420/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम दिदवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 598 मि0 रकबा 0.300 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 96,000.00 (छियानवे हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		दिदवारा	598	हेक्टेयर 0.300 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 421/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम खैरोकला, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 306/3 रकबा 1.039 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 2,42,500.00 (दो लाख बयालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		खैरोकला	306/3	हेक्टेयर 1.039 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 422/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम भरवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1511/1 रकबा 0.388 हे0 मालियत रु0 2,48,320.00 (दो लाख अड़तालीस हजार तीन सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		भरवारा	1511/1	हेक्टेयर 0.388	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.388		

सं0 423/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नटर्रा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 309 रकबा 2.120 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		नटर्रा	309	हेक्टेयर 2.120 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 424/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम देवगनपुरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 238/2 रकबा 0.368 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,34,400.00 (एक लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		देवगनपुरा	238/2	हेक्टेयर 0.368 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 425/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम महुआ इटौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 161ख मि0 रकबा 0.308 हे0 मालियत रु0 2,35,620.00 (दो लाख पैंतीस हजार छः सौ बीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		महुआ इटौरा	161 ख मि0	हेक्टेयर 0.308	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.308		

23 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 464/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम भण्डरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1382 रकबा 0.182 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		भण्डरा	1382	हेक्टेयर 0.182 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 465/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सिजवाहा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर की भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 916 मि0 रकबा 1.214 हे0 में से 0.360 हे0 मालियत रु0 3,50,000.00 (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		सिजवाहा	916 मि0	हेक्टेयर 1.214 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 466/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टीकामऊ, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 ऊसर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 417-ख रकबा 0.259 हे0 मालियत रु0 2,97,664.00 (दो लाख सत्तानवे हजार छः सौ चौसट रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		टीकामऊ	417 ख	हेक्टेयर 0.259	श्रेणी-6-4 ऊसर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.259		

सं0 467/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अतरार माफ, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 354 रकबा 0.223 हे0 मालियत रु0 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		अतरार माफ	354	हेक्टेयर 0.223	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.223		

सं0 468/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पहरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 2122 रकबा 0.263 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 2,47,200.00 (दो लाख सैंतालीस हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		पहरा	2122	हेक्टेयर 0.263 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 469/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बिलबई, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1693/4 रकबा 1.468 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 4,00,000.00 (चार लाख रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		बिलबई	1693/4	हेक्टेयर 1.468 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 470/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम छिकहरा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 1425 मि0 रकबा 0.769 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		छिकहरा	1425 मि0	हेक्टेयर 0.769 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 471/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम धवर्रा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 बीहड़ के खाते में अंकित गाटा संख्या 713/5 रकबा 9.386 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		धवर्रा	713/5	हेक्टेयर 9.386 में से 0.360	श्रेणी-6-4-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 472/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नरवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 378 रकबा 5.030 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,03,040.00 (एक लाख तीन हजार चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		नरवारा	378	हेक्टेयर 5.030 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 473/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/पेय जल/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम खमा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 276/1 रकबा 1.222 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,03,040.00 (एक लाख तीन हजार चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		खमा	276/1	हेक्टेयर 1.222 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 474/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अकौना, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 328/6 रकबा 0.644 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		अकौना	328/6	हेक्टेयर 0.644 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 475/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कर्रा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-2 पुरानी परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 343 रकबा 1.214 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		कर्रा	343	हेक्टेयर 1.214 में से 0.160	श्रेणी-5-2 पुरानी परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 476/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम भगारी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 186/2 रकबा 0.539 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		भगारी	186/2	हेक्टेयर 0.539 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 477/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बुधवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 66/5 रकबा 17.765 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		बुधवारा	66/5	हेक्टेयर 17.765 में से 0.160	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 478/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अजनर, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 2408 रकबा 0.384 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,98,800.00 (दो लाख अट्ठानवे हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		अजनर	2408	हेक्टेयर 0.384 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 479/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लेवा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 132/23 रकबा 8.066 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		लेवा	132/23	हेक्टेयर 8.066 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 480/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम टिकरिया पनवाड़ी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 123/5-मि0 रकबा 1.550 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		टिकरिया पनवाड़ी	123/5 मि0	हेक्टेयर 1.550 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 481/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम लमौरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 736-ग रकबा 0.963 हे0 में से रकबा 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		लमौरा	736-ग	हेक्टेयर 0.963 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 482/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम खिरिया जदीद, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 457-ख मि0 रकबा 3.759 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		खिरिया जदीद	457-ख मि0	हेक्टेयर 3.759 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को धवर्रा-सिजवाहा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 452/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम गोरखा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 759 रकबा 1.090 हे0 मालियत रु0 12,64,400.00 (बारह लाख चौसठ हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		गोरखा	759	हेक्टेयर 1.090	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा जल शोधन संयत्र (डब्लू0टी0पी0) की स्थापना हेतु।
					एक किता	1.090		

सं0 453/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम उटिया, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 529 रकबा 1.534 हे0 मालियत रु0 16,96,604.00 (सोलह लाख छियानवे हजार छः सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा		उटिया	529	1.534	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा जल शोधन संयत्र (डब्लू0टी0पी0) की स्थापना हेतु।
					एक किता	1.534		

02 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 454/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सारंगपुरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 17/7 रकबा 2.295 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,02,400.00 (एक लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था

पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़		सारंगपुरा	17/7	2.295 में से 0.160	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को लहचूरा–काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.160		

सं0 455/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अकठौहा, परगना कुलपहाड़, तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 नवीन परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 3192 रकबा 1.227 हे0 में से रकबा 0.198 हे0 मालियत रु0 1,64,340.00 (एक लाख चौसठ हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	चरखारी/कुलपहाड		अकठौहा	3192	1.227 में से 0.198	श्रेणी-5-1 नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.198		

सं0 456/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम नकरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 1053/1 रकबा 2.043 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 3,02,400.00 (तीन लाख दो हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं

कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		नकरा	1053/1	हेक्टेयर 2.043 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 457/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम सुगिरा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-6-4 बीहड़ के खाते में अंकित गाटा संख्या 419/2 मि0 रकबा 2.181 हे0 में से रकबा 0.303 हे0 मालियत रु0 4,42,380.00 (चार लाख बयालीस हजार तीन सौ अस्सी रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड		सुगिरा	419/2 मि0	हेक्टेयर 2.181 में से 0.303	श्रेणी-6-4 बीहड़	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.303		

सं0 458/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-

2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कुसरमा, परगना व तहसील चरखारी, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 383 रकबा 0.720 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,08,800.00 (दो लाख आठ हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	चरखारी		कुसरमा	383	हेक्टेयर 0.720 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 459/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अण्डवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 670 रकबा 0.458 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		अण्डवारा	670	हेक्टेयर 0.458 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 460/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम अण्डवारा, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 107ग रकबा 1.036 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 1,66,250.00 (एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		परसहा	107ग	हेक्टेयर 1.036 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

26 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 523/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम पठारी कदीम, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर के खाते में अंकित गाटा संख्या 628 ग रकबा 2.319 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 3,34,800.00 (तीन लाख चौतींस हजार आठ सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		पठारी कदीम	628ग	हेक्टेयर 2.319 में से 0.360	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 524/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम भगौरी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-5-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती के खाते में अंकित गाटा संख्या 142 रकबा 0.633 हे0 में से रकबा 0.360 हे0 मालियत रु0 2,30,400.00 (दो लाख तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	कुलपहाड़		भगौरी	142	हेक्टेयर 0.633 में से 0.360	श्रेणी-5-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को सलईया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.360		

सं0 525/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम जुझार, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाता 245 में अंकित गाटा संख्या 384 मि0 रकबा 0.680 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 1,66,250.00 (एक लाख छियासठ हजार दो सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा		जुझार	384 मि0	हेक्टेयर 0.680 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को कबरई ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सं0 526/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम बंहिगा, परगना व तहसील महोबा, जनपद महोबा के श्रेणी-5-3-ङ बंजर भूमि के खाता 492 में अंकित गाटा संख्या 501 रकबा 0.437 हे0 में से रकबा 0.250 हे0 मालियत रु0 1,66,250.00 (एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्णरूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महोबा	महोबा/मौदहा		बंहिगा	501	हेक्टेयर 0.437 में से 0.250	श्रेणी-5-3-ङ बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 को शिवहार ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।
					एक किता	0.250		

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, महोबा।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5141/जी0-361/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1(5)-1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर, जनपद जौनपुर के ग्राम बेलापार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—40 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 62/23-154(2015-16) एम0ए0-II–बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, रेत, बजरी, पत्थर आदि को लेने एवं एकत्रित करने तथा उसे जनपद के अन्दर व बाहर भेजने एवं संग्रह करने आदि हेतु उपविधि बनी हुई है जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में विज्ञप्ति संख्या 107/23–28 (2006–07), दिनांक 17 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित होकर प्रभावी है। इस उपविधि में संशोधन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2)(सी)(डी) तथा धारा 143 के अन्तर्गत जिला पंचायत, बिजनौर के प्रस्ताव संख्या 8, दिनांक 29 मार्च, 2018 अन्य विषयक द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे तथा शेष उपनियम पूर्व में लागू उपविधि के अनुसार ही रहेंगे–

प्रचलित उपविधि	संशोधित उपविधि
1–यह उपविधि जिला पंचायत, बिजनौर ग्रामीण क्षेत्रों में बालू, रेत, बजरी, पत्थर आदि को लेने एवं एकत्रित करने तथा इसे जनपद के अन्दर व बाहर भेजने एवं संग्रह करने पर व्यवसायिक दृष्टि से कार्यरत (बैलगाड़ी जिसमें पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली समस्त गाड़ियां), नांव, ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक एवं ट्रक आदि उपविधि कहलायेंगी।	1–यह उपविधि जिला पंचायत, बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी, नाली पोखर क्वेरी आदि से बालू, पत्थर, रेत, बजरी, कोर्स सेण्ड को व्यवसायिक दृष्टि से एकत्रित करने हेतु उद्गम स्थलों से ही बिना बैरियर लगाने वसूली शुल्क आरोपित करने सम्बन्धित उपविधियां कहलायेंगी।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

27 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 131/21-एल0 बी0 ए0/2020—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर जिला पंचायत, महोबा ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र, विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उपविधि

1—अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हों।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टयों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तविक बिन्दु के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण कराना, पुनः निर्माण कराना या उसमें सारवान विचलन कराना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिये दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10—तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला-फिरा जाता हो।

11—फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12—भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13—ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14—ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियन्ता, जिला पंचायत, महोबा।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है, जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया है।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, महोबा से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन, उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम से भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेट बैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, महोबा से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) में संघटित जिला पंचायत, महोबा से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, महोबा से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy Story) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच से और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा, भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जो कि पूर्णतयाः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यता आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हो।

28–व्यावसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यावसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल, व्यावसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाता है।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक

ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्याधिक करोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला भाप पैदा होती है, विस्फोटक जहरीले इरीटेण्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिये प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाये या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिये एक सुगम स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

32—उक्त उपविधि सरकारी भवनों पर लागू नहीं होगी।

इन उपविधियों में जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, महोबा के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिये परिभाषित किया गया है, किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं है।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी, परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निमाण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निमाण।

(ल) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम, समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(द) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(य) भवन/परियोजना बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(र) स्थल की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान, सीवरेज जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास व जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(ल) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(व) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट, अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावित भवन, उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़कानें का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4, 5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर उंचाई तक अनुमन्य (Hog) होगा।

(ग) लिन्टल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट प्लान से 2.0 मीटर दूरी के पश्चात निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्राविधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लाक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लाक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(अ) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा भवन, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लाक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ब) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-कल प्लांट।

(स) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन के कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिये।

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिये।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिये।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होनी चाहिये।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होनी चाहिये।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होनी चाहिये।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिये।

4–(क) पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईन की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिये कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1	(1) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(2) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	16	12
4	व्यावसायिक भवन–				
	(1) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(2) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(3) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(4) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–				
	(1) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(2) हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(3) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–				
	(1) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(2) धर्मशाला, लाज, अतिथिगृह, हास्टल	40	2.50	15	10
	(3) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6

1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
7	कार्यालय भवन, सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन काम्पलेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (Set back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	सामने (Front) मीटर में	साइड (Side) मीटर में	पीछे (Rear) मीटर में	लैंड स्केपिंग (Landscaping) मीटर में	खुला स्थान प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	1 वृक्ष प्रति सौ वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	25
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	25
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	25

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का

1	2	3
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मी0 स्वीकृत (FAR) का

(ट) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(1) तीन मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवन और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हास्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टी प्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ छः मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम चार मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(2) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(3) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिये।

(4) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(5) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(6) उपरोक्त भवनों में उ0प्र0 अग्नि शमन निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6), 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code), 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ठ) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ड) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल साइलेंट प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.00 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी व भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियों विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 1,00,000.00 (एक लाख रुपये मात्र) व अन्य जनपदों में मु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) जिला पंचायत, महोबा में जमा कराने होंगे तथा अप्रत्यर्णीय (Non-refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ढ) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन-सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 25 प्रति वर्गमीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन-सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) [i] भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

[ii] भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित कराना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

[iii] भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाइप आदि।

[iv] किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)। उपरोक्त ग (i) से (iv) तक सूची (I) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

(च) बेसमेंट, रीटल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क की गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की

गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से होगी।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णतः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होगी। ये दरें सभी तलों के आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 प्रति वर्गमीटर होगी।

नोट–शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।

(ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

33–भारत सरकार अथवा उ0प्र0 सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किमी0 के दायरे में निर्माण मंजिलों एवं ऊंचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

34–भवन की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

35–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाय तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

36–निकटमत हवाई अड्डा चाहे विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के पांच किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन से आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

37–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुये भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुये किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेसियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

38–उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

39–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

40–इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

41–इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की सम्बन्धित धाराओं के अर्न्तगत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(त) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत, महोबा की संस्तुति पर वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अर्न्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(थ) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, महोबा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो अंकन रु0 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पच्चास रुपये मात्र) प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 86/जि0पं0म0/ला0 उपविधि/2019-20–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) 1994 की धारा 239(2) के अन्तर्गत जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थान अथवा सार्वजनिक सड़क पर किसी प्रकार की दुकान या व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के निमित्त बनायी गयी है, जिसे उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है :

उप नियम

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	जनपद हमीरपुर की वर्तमान दर वर्ष 1987 से प्रभावी	प्रस्तावित दर
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	कपड़ा परचून की सम्मिलित दुकान पर	–	500.00
2	केवल परचून की दुकान	30.00	200.00
3	गल्ले किराने की बड़ी दुकान पर जिसमें गल्ला 10 क्विंटल या उससे अधिक हो	–	250.00
4	केवल परचून की बड़ी दुकान	–	250.00
5	गल्ला किराना की छोटी दुकान पर जिसमें गल्ला 10 क्विंटल से कम हो	–	150.00
6	सोना चांदी की बड़ी दुकान पर	100.00	300.00
7	सोना चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान पर	–	150.00
8	मेडिकल स्टोर व दवा की दुकान	30.00	150.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
9	प्रत्येक होटल या हलवाई की दुकान	30.00	150.00
10	पुस्तक, कापी एवं स्टेशनरी की सम्मिलित दुकान	20.00	150.00
11	लोहे की बड़ी दुकान पर	50.00	300.00
12	लोहे की छोटी दुकान पर	50.00	150.00
13	चाय, पान, नमकीन की सम्मिलित दुकान पर	20.00	150.00
14	केवल चाय की दुकान पर	20.00	100.00
15	शर्बत, लस्सी या सोडावाटर की दुकान पर	30.00	150.00
16	घी या दूध की दुकान पर	30.00	150.00
17	लकड़ी या आरा मशीन एवं ईमारती लकड़ी की दुकान पर	50.00	500.00
18	बिना आरा मशीन एवं ईमारती लकड़ी की दुकान पर	—	200.00
19	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी की छोटी दुकान पर	50.00	100.00
20	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी की बड़ी दुकान पर	—	200.00
21	अन्य व्यवसाय की दुकान पर	—	200.00
22	फेरी की दुकान पर	—	100.00
23	सैलून की दुकान पर	10.00	100.00
24	कपड़े की धुलाई की दुकान पर	—	100.00
25	जूता की बड़ी दुकान पर	30.00	150.00
26	जूता की छोटी दुकान पर	30.00	100.00
27	सायकिल की दुकान पर	—	300.00
28	मोटर पार्ट्स की दुकान पर	30.00	300.00
29	मोटर मरम्मत की दुकान पर	—	150.00
30	सायकिल रिक्शा मरम्मत की दुकान पर	—	100.00
31	पत्थर की छोटी दुकान पर	—	150.00
32	पत्थर की बड़ी दुकान पर	—	500.00
33	मिट्टी के तेल की दुकान पर	—	200.00
34	सीमेन्ट की दुकान पर	—	300.00
35	खाद की दुकान पर (रासायनिक) जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	—	300.00
36	केवल कपड़े की छोटी दुकान पर	—	150.00
37	केवल कपड़े की बड़ी दुकान पर	100.00	150.00
38	आयुर्वेदिक देशी, यूनानी, होम्योपैथिक दवायें तथा डाक्टर इंस्टूमेन्ट, पट्टी गाज रूई, दूध के डिब्बे आदि की दुकान पर	—	300.00
39	टीन की बाक्स, अल्यूमीनियम के सामान, टीन के चादर की दुकान पर	50.00	300.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
40	स्टेन्लेस स्टील की दुकान पर (बर्तन)	50.00	150.00
41	सिलाई मशीन, टाईप राईटर मशीन तथा उससे सम्बन्धित दुकान पर	—	300.00
42	कपड़े की सिलाई की दुकान पर जिसमें एक मशीन चलती हो	20.00	100.00
43	कपड़े की सिलाई की दुकान पर जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	—	150.00
44	घड़ियों की दुकान पर जहां घड़ियां बेची जाती हों	20.00	300.00
45	घड़ियों की मरम्मत की दुकान पर	—	100.00
46	रेडियो की दुकान पर जहां रेडियो बेची जाती हो	—	350.00
47	रेडियो की मरम्मत की दुकान पर	25.00	150.00
48	पेट्रोल पम्प की दुकान पर	200.00	2,000.00
49	पेट्रोल पम्प एवं डीजल की दुकान पर	200.00	1,500.00
50	फर्नीचर की दुकान पर जिसमें सोफा सेट, मसहरी, कुर्सी, टेबुल, चौकी, लकड़ी के दरवाजे, पावा आदि	—	250.00
51	सायकिल रिक्शा या सायकिल पार्ट्स, टायर, ट्यूब आदि की बिक्री की दुकान पर	50.00	300.00
52	मिट्टी के तेल, डीजल, मोबिल आयल बेचने की दुकान पर (फुटकर)	30.00	150.00
53	कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा औजार की दुकान पर	100.00	300.00
54	फल, सब्जी की दुकान पर	20.00	150.00
55	बाजे की दुकान पर जिसमें हर प्रकार के बाजे बेचे जाते हों या मरम्मत होती हो	—	150.00
56	बिजली के मोटर, पंखे, बल्ब, तार, लैम्प आदि की दुकान पर जहां पर बिजली सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचे जाते हों	—	150.00
57	लाउडस्पीकर तथा इससे सम्बन्धित सामान रखने की दुकान पर	—	150.00
58	समस्त प्रकार के बीज की दुकान पर जिसमें बीज भण्डार सम्मिलित हों	—	150.00
59	भांग, ताड़ी की दुकान पर	—	300.00
60	हथियार अग्नि अस्त्र अथवा किसी अन्य प्रकार की दुकान पर	—	500.00
61	मोटर, मोटर सायकिल पंचर मरम्मत, हवा मशीन भरने की दुकान पर	20.00	150.00
62	खेल खेलने का काम आने वाले सामानों की दुकान पर	—	100.00
63	पत्थर व पत्थर के बने सामानों की दुकान पर	—	150.00
64	क्राकरी की दुकान पर	—	150.00
65	हर किस्म के वार्निस, पेन्ट, तारपीन के तेल वगैरह की दुकान पर	—	300.00
66	टेंट, शामियाना, तम्बू, कनात, फुलवारी आदि के दुकान पर जो किरायों पर दी जाती हो	—	1,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
67	रस्सी हर किस्म जैसे नारियल, सन, बेत, सुतली की बनी हुई टाट पट्टी, बोरी, मूज, नेवारखस व खस की बने सामानों की दुकान पर	—	150.00
68	गिट्टी, पत्थर, सीमेन्ट के सामान स्पर बाकरे का सामान जो सिनेटरी फिटिंग के कार्य में आने की दुकान पर	—	150.00
69	समस्त प्रकार का चूना, सफेद सीमेन्ट, बालू, मोरंग, मारबल, चिमनी, रंगीन व संगमरमर की रोड़ी चूर्ण पाउडर, सफेद खड़िया, रामरत्र हर तरह के गेरू, मुजैक के दाने आदि की दुकान पर	—	750.00
70	मेडिकल प्रैक्टिशनर जो दवा भी रखते हों	—	300.00
71	केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर	—	200.00
72	देशी व विदेशी शराब की दुकान पर	—	1,500.00
73	कालीन व दरी प्रतिष्ठान पर	50.00	150.00
74	गिट्टी व बालू की दुकान एवं मोरम पर	30.00	300.00
75	दाल चावल मिल (पावर डीजल)	—	1,500.00
76	जनरल स्टोर की दुकान पर	—	150.00
77	टी0वी0 की दुकान पर	—	700.00
78	वीडियो की दुकान पर	—	700.00
79	सिनेमाघर	—	1,000.00
80	कोल्ड स्टोरेज पावर या अन्य विधि	—	3,000.00
81	कालीन गलीचा एवं दरी पावर या अन्य विधि	—	700.00
82	काली रंगाई व्यवसाय पर	—	700.00
83	हथकरघा पर	—	200.00
84	कपड़े की छपाई व रंगाई की दुकान पर	50.00	150.00
85	छूटे हुये व्यवसायी तथा नर्सिंग होम बीस बेड का	—	750.00
86	प्रसूति गृह 20 बेड तक	—	750.00
87	नर्सिंग होम बीस बेड से अधिक पर	—	1,500.00
88	प्राइवेट अस्पताल	—	500.00
89	पैथालाजी सेंटर	—	750.00
90	डेंटल क्लीनिक	—	300.00
91	एक्सरे क्लीनिक	—	750.00
92	फाईनेंस कम्पनी चिट फंड/इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	—	1,500.00
93	वेल्डर/खराद मशीन/इंजीनियरिंग वर्क्स	—	750.00
94	कबाड़ी की दुकान	—	500.00
95	फ्यूल्स	—	1,500.00
96	मोपेड (आटो सेल्स की दुकान)	30.00	3,000.00
97	ट्रैक्टर एजेन्सी	30.00	3,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
98	स्कूटी/किसी भी कम्पनियों की मोटर सायकिल एजेन्सी	30.00	3,000.00
99	बड़ी गाड़ियों की एजेन्सी	30.00	3,000.00
100	गैसेज प्लांट/गैस सिलेंडर गोदाम	—	3,000.00
101	फैक्ट्री के रूप में चालित व्यवसाय जैसे स्ट्रक्शन प्लांट, तेल शोधक संयंत्र/आयल (रिफायनरी कारखाना/कच्चा तेल बनाने का कारखाना)	—	3,000.00
102	मुर्गी पालन फार्म	—	750.00
103	डबल रोटी, बिस्कुट का कारखाना	20.00	750.00
104	बिस्कुट, लेमन चूस, टाफी की थोक दुकान पर	—	500.00
105	धर्मकांटा	—	1,500.00
106	सुर्ती (तम्बाकू की फुटकर/थोक दुकान)	—	150.00
107	गुड़ अथवा चीनी की थोक दुकान	—	750.00
108	घी, सूजी, मैदा, बेसन आदि के थोक विक्रेता	—	500.00
109	चूड़ी की दुकान थोक अथवा फुटकर	20.00	150.00
110	शीशा फोटो फ्रेम की दुकान	—	150.00
111	अण्डा/चाय/पकौड़ी की दुकान	—	150.00
112	मिठाई के डिब्बे, कागज के प्लेट, प्लास्टिक के थैले आदि की दुकान	—	150.00
113	फोटोग्राफर एवं फोटो स्टेट की दुकान	—	150.00
114	बोरिंग/पंम्पिगसेट की दुकान	—	500.00
115	ग्रील, शटर जाली आदि की दुकान पर	—	1,500.00
116	ट्रैक्टर ट्राली बनाने का कारखाना	—	1,500.00
117	प्रिन्टिंग प्रेस	—	750.00
118	बैटरी बिक्री एवं चार्ज की दुकान	—	300.00
119	लान्ड्री की दुकान	—	150.00
120	सिनेमा अस्थाई	—	700.00
121	रेडीमेट कपड़े की दुकान	35.00	300.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
122	मोटर टायर की बड़ी दुकान	—	1,000.00
123	मोटर टायर की छोटी दुकान	—	500.00
124	स्टोन क्रेशर (एक नग)	3,000.00	5,000.00
125	कोयले की बड़ी दुकान	—	750.00
126	कोयले की छोटी दुकान	—	500.00
127	रेस्टोरेंट/लॉज	—	1,500.00
128	गल्ला आढ़त	30.00	750.00
129	सीमेंट की चादर बनाने का कारखाना	—	1,500.00
130	सीमेंट की चादर बेचने की दुकान	—	750.00
131	सीमेंट का पोल	—	3,000.00
132	सीमेंट का ईंट बनाने का कारखाना	—	1,500.00
133	सीमेंट की ईंट बेचने की दुकान	—	750.00
134	ह्यूम पाईप का कारखाना	—	1,500.00
135	सरकारी ठेकेदार	—	1,200.00
136	मोबाइल बिक्री की बड़ी दुकान	—	750.00
137	मोबाइल सेट व रिचार्ज की सम्मिलित दुकान पर	—	350.00
138	क्रेसर प्लांट के पट्टे/बेल्ट की दुकान पर	—	750.00
139	स्टोन क्रेसर पार्ट्स की दुकान पर	—	750.00
140	आटा चक्की	50.00	150.00
141	आटा चक्की सोलर, होलर सहित	—	300.00
142	लिफ्टर नांव (वह नांव जो नदी से पंम्पिंगसेट के द्वारा बालू निकालती हो प्रत्येक नग)	—	5,000.00
143	प्रचार होर्डिंग बोर्ड प्रति वर्ग फिट	—	150.00
144	अन्य बड़े व्यवसाय	—	2,000.00
145	डायमण्ड की गोदाम/फुटकर बिक्री पर	—	5,000.00
146	गौरा पत्थर का कारखाना	—	3,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
147	चिमनी ईंट भट्ठा	2,000.00	4,000.00
148	देशी ईंट भट्ठा	100.00	500.00
149	सीमेन्ट के ईंट (इण्टरलॉकिंग ईंट) का कारखाना	—	2,000.00
150	अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय व दुकानें जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आती हैं	—	300.00

लाइसेंस का नवीनीकरण लाइसेंस समाप्ति पर उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद रु0 5.00 प्रतिमाह की दर से प्रति सैकड़ा विलम्ब शुल्क देय होगा, जिसकी गणना 01 अप्रैल से की जायेगी। उपरोक्त दरों के अतिरिक्त उ0प्र0 गजट के खण्ड घ-पंचायतीराज, दिनांक 24 अगस्त, 1987 में जिला पंचायत, हमीरपुर (तत्कालीन एकीकृत जनपद हमीरपुर) में प्रभावी उपविधि के उपबन्ध यथावत रहेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् (जिला पंचायत) अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, महोबा घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर रु0 1000.00 (एक हजार रुपये मात्र) अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह का कारावास का दण्ड किया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

पी0एस0यू0पी0—40 हिन्दी गजट—भाग-3—2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

1 दिसम्बर, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख ——————————
10 अग्रहायण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश पुत्र कुमरपाल अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को दिनांक 06 नवम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री राकेश पुत्र कुमरपाल को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 02 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश देवी को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 सितम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश पुत्र कुमरपाल द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री राकेश पुत्र कुमरपाल, निवासी ग्राम जाऊ, पोस्ट रति का नगला, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
पुष्पा एन0 लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *1st December*, 2020 / *Agrahayana* 10th, 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/80/2017–WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04 th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Rakesh S/o Kumarpal, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Rakesh S/o Kumarpal, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Bill Vouchers were not been presented in respect of items of election expenditure.

(ii) Bank Statement was not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Rakesh S/o Kumarpal was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Rakesh S/o Kumarpal on 6th November, 2018; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that Shri Rakesh S/o Kumarpal, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 02nd July, 2020, which was served to his wife Smt. Kamlesh Devi on 24th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th September, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Rakesh S/o Kumarpal has neither rectified the above mentioned defects nor any

representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Rakesh S/o Kumarpal has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Rakesh S/o Kumarpal, Resident of Village-Jau, Post-Rati Ka Nagla, Tehsil-Sikandra Rao, District-Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–40 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–25 निर्वाचन–02-01-2021–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)

23 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 356/न0पा0प0खैर/2019-20 दिनांक 15 जुलाई, 2020 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 131(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, खैर, जनपद अलीगढ़ नगरपालिका सीमान्तर्गत वाणिज्य नियत्रंण लाइसेंस व अन्य शुल्क उप नियमावली तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगरपालिका परिषद्, खैर को अवगत करा सके।

समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, खैर कार्यालय को प्राप्त करायें। जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी, के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला/दैनिक हिन्दुस्तान" में दिनांक 16 जुलाई, 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एंव सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुये। मा0 बोर्ड प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

1–संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और प्रवत्ति–(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, खैर की सीमान्तर्गत वाणिज्य नियत्रंण लाइसेन्स व अन्य शुल्क उपनियमावली कहलायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट, में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जावेगी।

2–परिभाषाएं–(क) अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर से है।

(ग) शुल्क के तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा वर्णित मदों पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) प्रभावी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर के प्रभारी अधिकारी से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, खैर के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् द्वारा अधिकृत/कर्मचारी से है।

3–उपनियम–(1) यह नियम नगर पालिका परिषद खैर के सीमान्तर्गत लागू होगें।

(2) नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क से रूप में कार्यालय नगर पालिका परिषद खैर में अदा करके लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) लाइसेन्स शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगी।

(4) लाइसेन्स शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी।

(5) नियमावली तालिका में वर्णित मदो पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, खैर का है।

(6) नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते है और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते है।

(7) अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी सभी लाइसेन्स निर्गत कर सकता है।

(8) जो शुल्क इस तालिका में नही उन्हें सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

(9) इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्को की दरों को स्वतः ही निरस्त माना
जायेगा।

(10) प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1	2	3
1—**होटल रेस्टोरेन्ट—**		रू0
	1—होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तथा बारात घर	1,000.00
	2—होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 100 शैया से 20 शैया तक	10,000.00
	3—सामानय होटल	200.00
2—**नर्सिग होम—**		
	1—नर्सिग होम (20 बेड तक)	2,000.00
	2—नर्सिग होम (30 बेड तक)	5,000.00
	3—प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
	4—प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
	5—पैथोलोजी सेन्टर	1,000.00
	6—एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
	7—डेन्टल क्लीनिक	1,500.00
	8—प्राइवेट क्लीनिक	1,500.00
3—**परिवहन—**		
	1—ट्रासपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	500.00
	2—ट्रासपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	1,000.00
	3—ऑटो रिक्शा(2 सीटर)	300.00
	4—ऑटो रिक्शा(7 सीटर)	720.00
	5—ऑटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00
	6—मिनी बस	1,500.00
	7—बस	2,500.00
	8—तांगा	100.00
	9—रिक्शा किराये पर	100.00
	10—रिक्शा निजी पर	100.00
	11—ठेला/ठेली	100.00
	12—बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	50.00
	13—हाथ ठेला	25.00
	14—ट्रोली	50.00

1	2	3
	परिवहन–	रु0
	15–अन्य चार पहियों के वाहन तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु वाहन	500.00
	16–मोटर गैरिज	100.00
	17–स्कूटर गैरिज/रिपेयरिंग शॉप	50.00
	18–मोटर वाहन एजेन्सी (सेलस सर्विस)	3,000.00
	19–स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया/3 पहिया)	1,500.00
	20–साईकिल की दुकान	300.00
4–**पैट्रोलियम–**		
	1–दुकान मिट्टी के तेल 100 गैलन तक	35.00
	2–मिट्टी के तेल की दुकान 300 गैलन से अधिक	70.00
	3–पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थ्रो (ऑयल कम्पनी)	3,000.00
	4–पेट्रोल पम्प/ डीजल पम्प फुटकर	2,000.00
	5–जेनरेटर डीजल	500.00
	6–अन्य दुकान पैट्रोलियम उत्पादन	500.00
5–**अन्य व्यवसाय–**		
	1–धुलाई गृह (लाण्ड्री)	100.00
	2–ड्राई क्लीनर	150.00
	3–साबुन फैक्ट्री	1,000.00
	4–गुड़ गोदाम	900.00
	5–कंकड़ तथा सुर्खी का भट्टा	1,500.00
	6–चूना	200.0
	7–पेठा बनाने का कारखाना	500.00
	8–ईट भट्टा	800.00
	9–जूता बनाने वाला कारखाना	800.00
	10–लोहा व्यापारी, टिम्बर मर्चेन्ट सीमेन्ट ईट बालू (थीक मोरम वालू) मारबल टाइल्स हार्डवेयर	1,000.00
	11–बिजली सामान के विक्रेता	300.00
	12–कपड़ा फुटकर एंव थोक व्यापारी	500.00
	13–चाय के थोक विक्रेता	100.00
	14–नट फैक्ट्री	100.00
	15–खाल एंव बाल उतारने वालों पर	600.00
	16–वेटरिंग	600.00
	17–बेकरी	1,000.00
	18–बेकरी (पावर)	1,500.00
	19–हेयर कंटिंग सैलून	100.00
	20–ब्यूटी पार्लर	100.00
	21–कुकिंग गैस एजेन्सी	500.00
	22–जनरल मर्चेन्ट (फुटकर एंव थोक)	2,000.00
	23–कोयला थोक विक्रेता	1,000.00
	24–मसाला/पान मसाला फैक्ट्री	2,000.00
	25–कोयला फुटकर विक्रेता	1,000.00
	26–पेन्ट की दुकान (रंग रोगन)	300.00
	27–ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख टर्न ओवर	1,000.00
	28–ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर	500.00
	29–विज्ञापन एजेन्सी	1,000.00
	30–डेरी फार्म	1,000.00

1	2	3
	अन्य व्यवसाय–	रु0
	31–भूसा फार्म थोक	1,000.00
	32–भूसा विक्रेता फुटकर	500.00
	33–ऑडियों लाइब्रेरी	500.00
	34–वीडियों लाइब्रेरी	500.00
	35–केबिल टी0वी0	1,000.00
	36–आर्केटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि एकाउन्टेट कास्ट एकाउन्टेट	4,000.00
	37–फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड	6,000.00
	38–इश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00
	39–फाउण्डिंग कम्पनी/इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल	1,000.00
	40–ढलाई भट्टी , खराद मशीन	50.00
	41–पशु वध (छोटा)	10.00
	42–पशु (बड़ा)	15.00
	43–सब्जी गोदाम/फल गोदाम	1,000.00
	44–हड्डी, खाल सींग, चमड़ा,खांडसारी आदि फुटकर विक्रेता	500.00
	45–बार/बीयर	4,000.00
	46–शीरा फैक्ट्री	4,000.00
	47–टेन्ट हाउस	1,100.00
6–	**दुकान–**	
	1–पान/तम्बाकू की दुकान	100.00
	2–चाय की दुकान	100.00
	3–जनरल मर्चेन्ट की दुकान	200.00
	4–किताबों की थोक दुकान	150.00
	5–किताबों की फुटकर दुकान	200.00
	6–न्यूज पेपर विक्रेता	100.00
	7–लकड़ी की टाल थोक विक्रेता	600.00
	8–लकड़ी की टाल फुटकर विक्रेता	500.00
	9–टिम्बर मर्चेन्ट	2,000.00
	10–रेडियों मैकेनिक, टी0वी0 मरम्मत	300.00
	11–टी0वी0 शॉप / इलैक्ट्रोनिक वस्तुऐं	500.00
	12–फर्टिलाइजर (शॉप)	500.00
	13–फर्टिलाइजर फैक्ट्री	3,000.00
	14–प्लास्टिक ट्रेडर्स	500.00
	15–मिठाई की दुकान	500.00
	16–पानी बतासा की दुकान	200.00
	17–ड्राई फ्रूट की दुकान	200.00
	18–गैस फिलिंग प्लान्ट	4,000.00
	19–गैस फिलिंग दुकान (छोटी)	200.00
	20–सब्जी की दुकान/फल की दुकान	200.00
	21–ड्राई फ्रूट की फुटकर दुकान	500.00
	22–बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
	23–मसाले की थोक विक्रेता	1,000.00

1	2	3
	दुकान–	रु0
	24–मसाले के फुटकर की दुकान	500.00
	25–पीतल एंव स्टील बर्तन/पातल से बनी वस्तुओं के थोक विक्रेता	1,000.00
	26–पीतल एंव स्टील बर्तन/पातल से बनी वस्तुओं के फुटकर विक्रेता	500.00
	27–देशी शराब की प्रति दुकान	1,000.00
	28–अग्रेजी शराब की दुकान	2,000.00
	29–पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	500.00
	30–भैंस भैंसा (बड़ा) पशु मांस की दुकान	300.00
	31–बकरा/बकरी (छोटा) पशु मांस की दुकान	500.00
	32–फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	1,000.00
	33–क्रॉकरी विक्रेता	500.00
	34–चूड़ी विक्रेता	100.00
	35–जूता (चमड़ा,प्लास्टिक) विक्रेता	100.00
	36–गलास फैक्ट्री /कांच से बनाने वाली समस्त फैक्ट्री	1,000.00
	37–अग्रेजी व आयुवेर्दिक दवा की फुटकर/थोंक	500.00
	38–फर्नीचर विक्रेता	500.00
	39–रस्सी/बान/बांस बल्ली आदि की दुकान	100.00
	40–अन्य सभी प्रकार की दुकान एंव प्रतिष्ठान	100.00
	41–अन्य सभी प्रकार की फैक्ट्ररिया आदि	500.00
7–**पशुपालन–**		
	1–प्रति पशु (बड़ा)	10
	2–प्रति पशु (छोटा)	5
	3–कांजी हाउस उसमें बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) बड़े जानवर	50
	(ख) छोटा जानवर	25
	4– प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	7
	5– प्रतिदिन खुराकी बड़ें जानवर गाय भैंस घोड़े आदि	17

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रूपया 10.00 (दस रूपया मात्र) विलम्ब देय होगा।

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद खैर जनपद अलीगढ़ यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उलघंन करने वालों पर अंकन रुपया 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक जुर्माना किया जा सकता है यदि उल्लघंन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्व के दिनांक से रुपया 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन के हसाब से जुर्माना वसूल किया जा सकता है जुर्माना अदा न करने पर तीन मास तक का कारावास का दण्ड भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
खैर (अलीगढ़)

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)

23 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 467/न0पा0प0खैर/2019–20 दिनांक 20.09.2020 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2 1916 की धारा 131 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, खैर, जनपद अलीगढ़ नगरपालिका सीमान्तर्गत विज्ञापन विनियम व नियत्रंण नियमावली 2019 तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगरपालिका परिषद्, खैर को अवगत करा सके।

समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, खैर कार्यालय को प्राप्त कराये। जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी, के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण/दैनिक स्वदेश" में दिनांक 30 सितम्बर 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एंव सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुये। मा0 बोर्ड प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण नियमावली, 2019

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़) के सीमा के अंतर्गत (समाचार-पत्रों के भिन्न विज्ञापनों) विज्ञापन पर किराया निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2019 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)) द्वारा सरकारी गजट प्रकाशन में प्रकाशित हो जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषा–**इस उपनियम में जब तक विषय अथवा प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न हो–

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''बोर्ड'' से नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ग) ''अध्यक्ष–प्रशासक'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ के अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) ''शुल्क'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित शुल्क से है।

(क) '' विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे पत्रक, सूचना पोस्टर, चित्र, कपडे के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर, चिपकाने वाले या साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसी बस्तु से जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की जाती हो किसी भी प्रकार के प्रकाशन/सूचना से है, जिसका उपयोग प्रचार-प्रसार उद्देश्य से किया गया हो, जिसके अन्तर्गत दीवार व पोस्टर बैनर, बिल, होर्डिग तथा गुब्बारे का उपयोग किया गया हो, जिसे देखा अथवा पढा जा सके।

(ख) भवन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के बने ढांचे से है, जो किसी भी मैटिरियल से बना हो जिसकी बाहरी दीवार और चार दीवारी हो अथवा उसके किसी अन्य भाग से है।

(ग) सक्षम अधिकारी का आशय अधिशासी अधिकारी से होगा।

3–कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगर पालिका परिषद खैर,, की सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना किसी भवन/ढांचे पर विज्ञापन के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सूचना, पम्पलेट, बिल, पोस्टर, होर्डिग, गुब्बारे तथा किसी अन्य प्रकार के प्रचार माध्यम बिना अधिशासी अधिकारी की अनुमति के न तो प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा।

4–किसी भी प्रकार के ऐसे विज्ञापन जो सामाजिक रूप से अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति/समूह की भावना को ठेस पहुंचाने वाले हो, पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

5–किसी भी ऐसे स्थान यथा राजमार्ग की पटरी, नगर में मुख्य चौराहे, शहर की रोड, साईड पट्टी पर जिससे आवागमन /यातयात मे बाधा या जन असुविधा उत्पन्न हो तथा मा0 उच्चतम न्यायालय/अन्य समस्त अधिकारिता सम्पन्न न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

6–किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु स्थल का उल्लेख सहित आवेदक/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को लिखित रूप से दो प्रतियों मे आवेदन-पत्र देना अनिवार्य होगा, जिस पर स्थल एवं भाषा सम्बन्धी विभागीय जॉच रिपोर्ट पर

संतुष्ट होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। यह अनुमति निश्चित अवधि अथवा एक वर्ष तक अनुमन्य होगी।

7–अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि जनहित में आवश्यक समझे तो अनुमति दे या न दे अथवा कारणों का उल्लेख करते हुए प्रतिबन्ध सहित अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदान की गई अनुमति का निरस्त कर दें।

8–अनुमति निरस्त होने की दशा में प्रभावित पक्ष को सात दिन के अन्दर अपनी अपील याचिका नगर पालिका परिषद खैर अध्यक्ष/प्रशासक माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

9–नगर पालिका परिषद खैर सीमान्तर्गत विज्ञापन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति पर निम्नांकित प्रकार से विज्ञापन शुल्क की दर प्रभावी होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का विज्ञापन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका परिषद खैर की सीमान्तर्गत दरें निम्न प्रकार रहेगी–

क– दीवार पर लिखना	रु0 5.00 (पांच रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ख– पोस्टर/पम्पलेट आदि	रु0 50.00 (पचास रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ग– फ्लैक्स, बैनर आदि	रु0 20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
घ– लोहे, टीन आदि के विज्ञापन बोर्ड	रु0 20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
ङ– यूनीपोल	रु0 20.00 (बीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
च– विद्युत नियंत्रित/चलित यूनिपोल	रु0 25.00 (पच्चीस रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
छ– विज्ञापन बोर्ड (विद्युत नियंत्रित/चलित)	रु0 100.00 (सौ रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह
झ–गुब्बारे या अन्य उडने वाले विज्ञापन	रु0 2,000.00 (दो हजार रु0) प्रति वर्ग फुट	– प्रतिमाह

10–किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड यदि प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भूकम्प आदि से बोर्ड टूटकर किसी भवन, ढांचे अथवा यातयात आवागमन किसी व्यक्ति, पशु एवं जान माल इत्यादि का क्षति होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी/संस्था/व्यक्ति ही हर्जे, खर्चे व कानूनी तौर पर कार्यवाही हेतु जिम्मेदार रहेगी। नगरपालिका परिषद्, खैर इसके लिये जिम्मेदार नही होगी।

11–विज्ञापन एवं प्रचार हेतु कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी नगरपालिका परिषद्, खैर में निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 10,000.00 जमा कराते हुये वार्षिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा इसके उपरान्त सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी के आवेदन का परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।

12–नगरपालिका परिषद्, खैर को अधिकार होगा कि अधिकतम बोली के आधार पर वार्षिक ठेका नीलाम करें अथवा अपने कर्मचारियों के माध्यम से विज्ञापन शुल्क की धनराशि वसूल कराये।

13–नगरपालिका परिषद्, खैर क्षेत्र के मुख्य मार्ग छोड़कर 100 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों ओर परीक्षण उपरान्त ही विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

14–नगरपालिका परिषद्, खैर के भवनों/बारात घरों, मार्किटों की छतों पर किसी भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी को विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति अधिशासी अधिकारी में निहित अधिकार के तहत दी जायेगी तथा प्राईवेट भवनों/मार्किटों की छतों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने पर निर्धारित विज्ञापन शुल्क की 1/2 की धनराशि जमा करनी होगी। साथ ही भवन/मार्किट के स्वामी के साथ विज्ञापनदाताओं द्वारा किये गये अनुबन्ध की सत्यापित कापी भी अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, इसके उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।

15–नगरपालिका परिषद्, खैर, अलीगढ़ सीमा अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

16–विज्ञापन की अनुमति की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता/व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी का स्थापित/लगाई गई विज्ञापन सामग्री यथा बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे आदि एक सप्ताह में स्वयं हटाने का उत्तरदायित्व होगा। यह वाध्यकारी कर्तव्य होगा।

17–विज्ञापन और वैध स्वीकृति की समाप्ति बाद अथवा बिना वैध स्वीकृति के होते स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर, गुब्बारे को हटाने विज्ञापन सामग्री को जब्त करने का अधिकार नगरपालिका परिषद्, खैर में निहित होगा तथा हटाने का हर्जा-खर्चा वसूल करने का अधिकार भी होगा। यह खर्च मालिक/विज्ञापनदाता/एजेन्सी/एजेन्ट से वसूल किया जायेगा यदि एजेन्सी/स्वामी/एजेन्ट/विज्ञापनदाता का एक सप्ताह के अन्दर पता ज्ञान न होगा तो हटाने की तिथि से एक माह के बाद नीलाम करने का अधिकार नगरपालिका परिषद्, खैर में निहित होगा।

18–निम्नांकित प्रकार के विज्ञापनों पर उपविधि के नियम प्रभावी नही होगें–

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकार पर उपविधि के नियम प्रभावी नही होगें।

(ख) किसी व्यवसायी द्वारा अपनी दुकान/भवन पर अपने निजी व्यवसाय से सम्बन्धित पहचान हेतु लगाया गया विज्ञापन बोर्ड/बैनर इत्यादि।

19–कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी किसी चालित वाहन पर विज्ञापन कर रहा हो, तो उससे ठेली/रिक्शा/चालाक वाहन से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए विज्ञापन शुल्क रु0 10.00 प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से जमा करना होगा।

20–किसी भी वाद-विवाद की दशा में अधिशासी अधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा। जिसकी अपील अध्यक्ष/प्रशासक नगरपालिका परिषद्, खैर के समक्ष 30 दिन के अंतर्गत की जा सकती है।

21–कोई भी विज्ञापनदाता/संस्था/एजेन्सी का स्वामी इस उपविधि से प्रविधानों का उल्लंघन करके किसी भी विज्ञापन सामग्री का उपयोग करता है तो वह दोषी माना जायेगा। ऐसे दोषी पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड आधिरोपित होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा इस उपविधि के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंधन करने वाले पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में दोष सिद्ध होने पर अपराधी से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये रु0 25 प्रतिदिन अर्थदण्ड वसूल किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्,
खैर (अलीगढ़)।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, खैर (अलीगढ़)

23 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 468/न0पा0प0खैर/2019–20 दिनांक 20.09.2020 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 यू0पी0 एक्ट संख्या 2 1916 की धारा 131(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् खैर, जनपद अलीगढ़, नगर पालिका सीमान्तर्गत नगरी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2019 तैयार की गयी है। जिसका प्रकाशन इस आशय से किया जा रहा है कि नगरवासियों व प्रभावित व्यक्ति/समूह अपने अमूल्य सुझाव व आपत्तियों से नगर पालिका परिषद खैर को अवगत करा सके।

समस्त नगर वासियों व प्रभावित व्यक्तियों/समूह से अपेक्षा है कि प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने सुझाव व आपत्तियां नगरपालिका परिषद्, खैर कार्यालय को प्राप्त कराये। जिससे उन पर विचारोपरान्त समुचित निर्णय किया जा सके। समयावधि पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी, के सम्बन्धित प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण/दैनिक स्वदेश" में दिनांक 29 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियों एंव सुझाव आंमत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एंव सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नही हुये। मा0 बोर्ड प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को सर्वसम्मति से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अधिशासी अधिकारी को अधिकृत करते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव नियमावली नगरपालिका अधिनियम,1916 की धारा 131(1) के अपेक्षानुसार सरकारी गजट में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, जो प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरी ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2019

1–**संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**–(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद खैर नगरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि 2019 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पालिका परिषद खैर सीमा के अन्दर लागू होगी।

(ग) यह गजट प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषाएं**–(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

(ख) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर से है।

(ग) ''अध्यक्ष/प्रशासक'' का तात्पर्यनगर पालिका परिषद खैर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ)'' बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ङ) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद खैर के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) ''अर्थदण्ड/जुर्माना'' का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड/जुर्माना से है।

3–**अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के कर्तव्य/नियम, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता**–(क) उत्पन्न किये गये अपशिष्ट के प्रथ्क्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अजैव निम्नीकरणीय (नॉन बायोडिग्रेडेबल) खतरनाक घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग अलग डिब्बों में भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा निर्देशो या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्ट को संग्रहकर्ता को सौपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये सेनेटरी अपशिष्ट जैसे डायपर, सेनेटरी पैडों आदि उत्पादों के निर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराये गये थैले में सुरक्षित रूप से लपेट कर या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से आपने ही परिसर में भण्डारित करेगा और ऐसा सनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार पडेगा।

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट उद्यान अपशिष्ट को परिसर मे ही पृथक रूप से भंडारित एकत्रित व निस्तारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा जारी आदेशों का पालन करेगा।

4–कोई अपशिष्ट उत्पन्न कर्ता उसके कर्ता उसके द्वारा अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों व नालों या जलशयों में न फेकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा।

5–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक ऐसा आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति या आयोजक आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट, संग्रहण अभिकरण को सौपेगा।

6–प्रत्येक मार्ग/पथ विक्रेता अपने कार्याकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसा कि खाद्य प्रयोज्य (डिस्पोजल) प्लेटो, कपों,

डिब्बो, रैपरों, नारियल के छिलके बचे भोजन, फल सब्जियों फलों आदि को उपर्युक्त पात्र या वाहन में डालेगा।

7–इन नियमों के अधिसूचित तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्टों के अलग-अलग पात्रों में संगृहण करने में सहायता और पुनंचक्रणीय सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनचक्रणीय को सौपना सुनिश्चित करेगें/जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट कर जहॉ तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपाचारित पर कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिए निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद खैर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओ या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

8–इन नियमों के अधिसूचना होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट का स्त्रोत पर ही पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौपना सुनिश्चित करेगें। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को जहॉ संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कम्पोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगरपालिका परिषद्, खैर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

9–इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सभी होटलों एवं रेस्टोरेन्टों स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता तथा पुनचक्रणीय सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट उठाने वालो अथवा अधिकृत पुर्नचक्रों को सौपना सुनिश्चित करेगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहॉ तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पालिका परिषद्, खैर द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जायेगा।

10–नगरपालिका परिषद्, खैर के अन्दर खुले मे शौच करने वाले व्यक्तियों से रु0 500 का जुर्माना वसूल किया जायेगा जिसकी अदायगी संबधित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी।

11–सार्वजनिक स्थलों, सडकों व नालियों में कूडा डालने पर न्यूनतम रु0 250 तथा अधिकतम रु0 1,000 जुर्माना वसूल किया जायेगा।

12–माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 35992/नौ-5-2016-29 रिट/204 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 का अर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

13–ऐसे आवासीय या व्यवसायिक परिसर जो प्रतिदिन 100 किलो से अधिक कूड़ा उत्पन्न करते हैं उन्हें स्वयं अपने परिसर में जैविक कचड़े का निस्तारण करना पडेगा।

14–सभी अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं से उपशिष्ट संग्रहण हेतु यूजर चार्ज निम्न दरो पर वसूल किया जायेगा–

(1) आवसीय भवन (प्रति परिवार) रु0 30.00 माह

(2) व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जलपान होटल रु0 100.00 माह

(3) व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल रु0 500.00 माह

(4) व्यवसायिक भवन फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान रु0 500.00 माह

(5) व्यवसायिक भवन चिकित्सा क्लीनिक रु0 200.00 माह

(6) व्यवसायिक भवन नर्सिग होम रु0 300.00 माह

(7) गेस्ट हाउस, रेस्तरा, निकाय क्षेत्र मे शादी/तिलक/अन्य आयोजन का समारोह रु0 500.00 माह

(8) निकाय क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के मरे जानवर उठाने का शुल्क रु0 500.00 प्रति जानवर

15–यूजर चार्ज भुगतान न करने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस उपविधि में वार्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउडिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा। यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का यूजर्स अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के यूजर चार्ज की छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा।

16–विधवा/बेसहारा/दिव्यांग/सेवानिवृत्त सैनिक महिला एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करती है।) यूजर्स चार्ज से शासनादेश के अनुसार मुक्त रखा जायेगा जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगरपालिका परिषद, खैर से प्राप्त करना होगा। यदि भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नही होगा।

17–वह वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं के घर मे निवासित हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवमं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारीजन अथवा अन्य सहायक निवासित न हो उनको यूजर चार्ज से मुक्त रखा जायेगा।परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पालिका परिषद खैर से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा। निकाय में जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होगी उसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त निर्धारित अवधि में होने पर वसूली/निःशुल्क करने हेतु अधिशासी अधिकारी/निकाय को निर्णय करने का होगा।

18–अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओ हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क प्रतिवर्ष–

(1) मछली फुटकर बिक्री	– रु0 500.00
(2) मछली थोक बिक्री	– रु0 1,000.00
(3) व्यक्तिगत जगह पर प्राइवेट हाट/बाजार लगवाना	– रु0 18,000.00
(4) फल/सब्जी बिक्री	– रु0 500.00
(5) फल/सब्जी थोक बिक्री	– रु0 1,000.00
(6) अण्डा फुटकर बिक्री	– रु0 500.00
(7) मुर्गा, बकरा, भैंस–भैस	– रु0 1,000.00

दण्ड

उक्त धाराओं का उल्लंघन करना अपराध माना जायेगा। उल्लंघन की दशा में 5,000.00 जुर्माना से दण्डनीय होगा। जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराधी द्वारा अपराध सिद्ध किया जाना सिद्धि है रू. 50.00 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खैर को निहित होगा तथा वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 के अध्याय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
खैर (अलीगढ़)।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर

12 मई, 2020 ई0

सं0 43/वि0रा0/2020-21—नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 के साथ गठित धारा 298 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके स्थानीय निकाय नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर की सीमा में लागू होने वाली विज्ञापन पट्ट, वॉल पेन्टिंग, पोस्टर, बैनर, क्यास्क, शक्ति चालित यान आदि पर नियन्त्रण उपविधि, 2020 की स्वीकृत बोर्ड प्रस्ताव संख्या 3 पत्रांक 641/सा0प्र0/2019-20, दिनांक 06 मार्च, 2020 से स्वीकृत दरें लागू करने के लिये संशोधित दरें तैयार कर प्रकाशित करायी जा रही है।

विज्ञापन शुल्क/प्रशासनिक शुल्क की वसूली सम्बन्धित उप नियमावली, 2020 के अन्तर्गत निम्न संशोधन विज्ञापन पट्ट, वॉल पेन्टिंग, पोस्टर, बैनर, क्यास्क, शक्ति चालित यान आदि पर नियन्त्रण उपविधि, 2020 की स्वीकृत दरें नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर की सीमा में लागू होगी।

1—(क) पालिका की भूमि दिवालों, सार्वजनिक भवनों पर

उच्च वर्ग—सौ रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।

सार्वजनिक स्थल, सड़कों पर विज्ञापन पट्टे के लिये।

''क'' वर्ग—सौ रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।

''ख'' वर्ग—अस्सी रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।

स्थान का किराया 75 प्रतिशत विज्ञापन 25 प्रतिशत कुल-100 प्रतिशत।

(ख) निजी भूमि, दीवालों, भवनों, अन्य स्थलों आदि पर उपर्युक्त दरों का 75 प्रतिशत पर विज्ञापन पट्ट के लिये।

(ग) शक्ति चालित वाहन	दो सौ रुपया प्रतिदिन
(घ) किआस्क या बिजली के खम्भों पर	उच्च वर्ग—एक सौ रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।
''क'' वर्ग—सौ रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।	
''ख'' वर्ग—अस्सी रुपया प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ष।	
(च) लटकने वाले विज्ञापन पट्ट या बैनर	75 रुपया प्रति वर्ग फुट।
(छ) (क) पोस्टर	80 रुपया प्रति सैकड़ा।
(ख) हैण्ड बिल	80 रुपया प्रति सैकड़ा।
दीवाल पर पेन्टिंग	दो सौ रुपया प्रति दिवाल।
	(10 × 10 वर्ग फुट) या उसके
	किसी भाग पर प्रति वर्ष।

2—(क) उच्च वर्ग (क वर्ग)

1—शास्त्री ब्रिज।

2—इमामबाड़ा।

3—नवीन टाकीज।

4–मुकेरी बेजार।

5–तेलियागंज।

6–सिटी लाइफ।

7–गिरधर चौराहा।

8–पेहटी चौराहा।

9–के0बी0 कालेज।

10–त्रिमुहानी।

11–घण्टा घर।

12–संकट मोचन।

13–कचहरी पेट्रोल पम्प।

14–रमई पट्टी।

15–तहसील चौराहा।

16–सेन्टमेरी स्कूल।

17–रोडवेज चौराहा।

18–संगमोहाल ओवर ब्रिज (इस पार)।

19–संगमोहाल ओवर ब्रिज (उस पार)।

20–विन्ध्याचल।

21–द्वारिका चौराहा।

22–बरिया घाट तिराहा।

23–सबरी तिरहा।

24–सिटी कोतवाली।

25–जाह्नवी होटल।

ख वर्ग

1–ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर)।

ग वर्ग

1–शास्त्री पुल के पास जमीन पर।

2–विन्ध्याचल रोड ओवर ब्रिज के नीचे।

3–शास्त्री पुल चौरसिया पेट्रोल पम्प दीवाल पर।

4–गणेश टाकिज के सामने छत पर।

5–इमामबाड़ा ईदगाह छत पर।

6–के0बी0 कांशीराम महिला विद्यालय जमीन पर।

7–पानदरीबा दीवाल पर।

8–चौबे टोला चौमुहानी दीवाल पर।

9–चौबेटोला चौमुहानी जमीन पर।

10–नटवा चौकी जमीन पर।

11–पुतली घर हिण्डालको के सामने दीवाल पर।

12–रोडवेज मारूति एजेन्सी के सामने।

13–मुहकुचवा तिराहा जमीन पर।

14–कचहरी टी0वी0 हास्पिटल जमीन पर।

15–भरूहना पुलिस चौकी के बगल में जमीन पर।

16–रामबाग।

17–शिवाला महन्थ।

18–विन्ध्याचल।

19–जौनपुर तिराहा।

20–रोडवेज।

21–कचहरी अस्पताल के पास।

22–भरूहना।

23–पुलिस लाईन।

24–घंटाघर।

25–बरौधा।

3–किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अध्यक्ष के लिये विधि सम्मत होंगे।

(क) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(ख) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

4–अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसके नवीकरण किया जायेगा।

5–निविदा प्राप्तकर्ता फर्म द्वारा यदि किसी नये स्थान पर होर्डिंग अथवा यूनीपोल के स्थापना हेतु इच्छुक है तो नगरपालिका में आवेदन दे कर अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्थापित कर सकेगा।

6–किसी विवाद की दशा में क्षेत्राधिकार मा0 सक्षम न्यायालय मीरजापुर होगा।

7–उपर्युक्त दरों में नगरपालिका परिषद, मीरजापुर का बोर्ड विशेष संकल्प द्वारा संशोधित कर सकती है।

मनोज कुमार जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद् स्वार (रामपुर)

29 जनवरी, 2020 ई0

सं0 648/न0पा0प0स्वा0/2019-20—नगरपालिका परिषद्, स्वार, जनपद रामपुर के द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 के अन्तर्गत सम्पत्ति पर स्वःकर निर्धारण के उपनियम बनाये गये थे। प्रस्तावित विधि दैनिक समाचार-पत्र "शाह टाईम्स" दिनांक 12 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक "आज" दिनांक 15 सितम्बर, 2018 के द्वारा 01 माह के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे। निर्धारित अवधि 01 माह के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के उपरान्त बोर्ड की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 के प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि स्वःकर निर्धारण नियमावली को गजट में प्रकाशित कराये जाने का प्रस्ताव समस्त सभासदों द्वारा पारित किया गया तथा इसमें होने वाली समस्त कार्यवाही के लिये अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। निम्नवत् उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी :

सम्पत्ति पर स्वःकर निर्धारण उपनियम

खण्ड (क)

1—**नाम—**यह नियमावली सम्पत्ति पर स्वःकर निर्धारण नियमावली नगरपालिका परिषद्, स्वार, रामपुर के नाम से जानी जायेगी, जो नगरपालिका परिषद्, स्वार (रामपुर) की सीमा के अन्दर राजकीय गजट में प्रकाशित तिथि से लागू होगी।

2—**अर्थ—**स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत भवन/भूमि स्वामी स्वयं ही अपने भवन की माप कर इस नियमावली में उल्लेखित दरों के आधार पर आगणन कर भवन/भूमि पर कर निर्धारण कर सकेगा।

3—**परिभाषायें**—इस नियमावली में—

(1) 'नगर पालिका परिषद' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, स्वार है।

(2) 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 है।

(3) 'अधिशासी अधिकारी' से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, स्वार से है।

(4) 'भवन/भूमि' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, स्वार की सीमा में स्थित भूमि/भवन से है।

(5) 'स्वकर निर्धारण प्रणाली' से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने आदेश सं0 408/नौ-9-10-63अ/95-टी0सी0, दिनांक 22 फरवरी, 2010 के द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त निकायों में लागू किया गया है एवं आदेश सं0 344/79-वि-1-11-1(क)15-2011 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(6) 'आवासीय भवन' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग उसके स्वामी/अध्यासी द्वारा निवास के रूप में किया जा रहा है। किन्तु होटल, लाज, व वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले भवन शामिल नहीं होंगे।

(7) 'व्यवसायिक भवन' से तात्पर्य उस भवन से है जिसका प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में हो रहा है।

(8) 'मिश्रित भवन' का तात्पर्य उस भवन से है जिसमें आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधयां संचालित हो रही हैं।

(9) 'पक्का भवन' से तात्पर्य ऐसा भवन है जिसकी छत आर0सी0सी0 या आर0बी0 पद्धति से निर्मित हो तथा आधुनिक भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया है।

(10) 'अन्य पक्का भवन' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत कड़ी पटियों से निर्मित हो।

(11) 'कच्चा भवन' से तात्पर्य ऐसा भवन जिसकी छत अस्थायी साधनों यथा छप्पर, लोहा/सीमेन्ट की चादर आदि से निर्मित हो।

(12) 'मासिक किराया दर' से तात्पर्य इस नियमावली में भवनों/भूमि कारपेट आच्छाादित क्षेत्रफल के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिवर्ग फुट किराये से है।

(13) 'वार्षिक मूल्य' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 में उल्लिखित वार्षिक मूल्य से है।

(14) 'आच्छादित क्षेत्रफल' से तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर निर्मित भवन के प्रत्येक तल के कुल आच्छादित क्षेत्र से है।

(15) 'कारपेट ऐरिया' से तात्पर्य उस क्षेत्रफल से है जैसा कि इस प्रयोजन के लिये दिनांक 11 मार्च, 2011 को उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(16) 'मौहल्ले की श्रेणी' से तात्पर्य मौहल्ले में विकास की स्थिति, भवनों की स्थिति, नाली सड़क, खरंजे, स्थानीय लोगों के रहन सहन इत्यादि से है एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा निर्धारित नियत सर्किल दर के आधार पर अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की गई है।

(17) 'मार्ग की चौड़ाई' से तात्पर्य सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर स्थित दोनों सरकारी नाली/नाला के बीच की दूरी से है।

(18) कर समाहर्ता या राजस्व लिपिक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद स्वार (रामपुर) में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक से है।

4–क्षेत्रफल की गणना विधि–कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न प्रकार की जायेगी–

(1) कक्ष–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।

(2) आच्छादित बरामदा– आंतरिक आयाम की पूर्ण माप (वर्ग फुट में)।

(3) बाल्कनी गलियारा, रसोईघर और भण्डारगृह–आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।

(4) गैराज–आंतरिक आयाम की माप का 25 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में)।

(5) स्नानघर, शौचालय, डारमैट्री और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

5–वार्षिक मूल्य की गणना विधि–(1) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × खण्ड (ख) में उपलब्ध सूची अनुसार मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया

या

आवासीय भवन/भूमि का वार्षिक मूल्य = 12 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

एवं

(2) व्यवसायिक भवन का वार्षिक किराये मूल्य = 12 × 2 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन का कारपेट एरिया।

या

व्यवसायिक भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × 2 × क्षेत्रवार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर × भवन के आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण–(1) मिश्रित भवनों के लिये वार्षिक मूल्य, आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों के वार्षिक मूल्य की अलग-अलग गणना के योग के बराबर होगा।

(2) स्वकर कर देय धनराशि की गणना को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपयों पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा।

6–वार्षिक मूल्य के आधार पर आंकगणित कर से सम्बन्धित आधारभूत तथ्य–नगरपालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यकलाप अधिकारी नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा (संशोधित धारा 141)।

(क) प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर इस प्रकार होगा जैसा कि नगर पालिका परिषद स्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार भवन एवं भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारत स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जायेगा प्रथम बार प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का निर्धारण करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पालिका को सूचित किया जायेगा। यदि दो वर्षों के उपरान्त प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दरों का परिवर्तन नहीं किया जाता है तो, वर्तमान उपविधि के खण्ड (ख) के नियम 2 में निर्धारित प्रथम प्रयोज्य दरों को आधार मानते हुये अग्रिम प्रति 2 वर्षों हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि से मूल्यांकन किया जायेगा। उपविधि के खण्ड (ख) के नियम एक एवं दो का यथा आवश्यकता गजट/प्रकाशन पृथक् से किया जा सकता है।

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका क्षेत्र या उसके भाग में उपविधि के विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर का निर्धारण एवं कर निर्धारण सूची तैयार करवाई जायेगी।

(ग) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिपूर्ण होते हुये भी किसी भवन एवं भूमि के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध मे प्रति वर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं किया जा सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारित विवरण प्रपत्र में, जैसा कि नगर पालिका निर्धारित करे, जमा कर सकता है।

(घ) उपधारा (5) एवं अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिनियम की धारा 140, 141, 142 143, 144, 147 व 149 का प्रवर्तन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(ङ) सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली लागू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी के सम्बन्ध में सर्वे कराया जायेगा। सर्वेक्षण में समस्त सम्पत्तियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जायेगी। यदि किसी एक भवन में आवासीय एवं व्यवसायिक दोनों गतिविधियां पायी जाती हैं तो व्यवसायिक भवन को बटे में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी। जिन भवनों/भूमियों के सम्बन्ध में स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हैं, अथवा सर्वे में जिनके स्वामियों का पता नहीं चलता है तो सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व, ऐसे भवनों में रहने वाले किरायेदार/अध्यासी का ही होगा।

7–(क) भवन स्वामियों को 30 सितम्बर तक चालू मांग का गृहकर-जलकर जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ख) भवन स्वामियों को 30 नवम्बर तक चालू मांग का गृहकर-जलकर जमा करने पर 05 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(ग) चालू मांग को 31 मार्च तक जमा करने पर न तो किसी प्रकार की छूट दी जायेगी और नही अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगां।

(घ) 31 मार्च के पश्चात गृहकर–जलकर जमा करने पर अर्थदण्ड के रूप में 18 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज देय होगा।

(ङ) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/संगठनों से सम्बन्धित भवन पर आरोपित करों का भुगतान 31 मार्च के पश्चात करने पर 18 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज के रूप में अर्थदण्ड भी लिया जायेगा।

(च) ब्याज की गणना करों के जमा करने के तिथि से सम्बन्धित माह की अन्तिम तिथि तक की जायेगी।

(छ) करों से सम्बन्धित धनराशि सीधे बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में परिस्थिति जन्य निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(ज) व्यवसायिक भवनों (पंजीकृत मूल्य आधारित) पर कर निर्धारण नगर पालिका अधिनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पूर्ववत किया जायेगा।

(झ) स्वकर निर्धारण से पूर्ण विवरण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में भवन स्वामी द्वारा पलिका कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि भवन नव-निर्मित है तो निर्माण पूर्ण होने के 15 दिवस के भीतर पूर्ण विवरण-पत्र पालिका कार्यालय में जमा किया जायेगा एवं शुद्धता का परीक्षण कराने हेतु प्राधिकृत कार्मिक/कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक से भवन की जांच कराई जा सकती है।

(ञ) नगरपालिका की अन्य उपविधियों/अधिनियम/शासनादेशों आदि का उल्लंघन करने पर आरोपित शास्तियों को उल्लंघनकर्ता के सम्पत्ति कर खाते में अवशेष करों/शास्तियों/देयताओं के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी को यह विश्वास होने पर कि पर्याप्त समय के उपरान्त भी करदाता द्वारा देनदारियां नहीं चुकाई गई हैं, समस्त देनदारियों का भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

8–रेन्ट कन्ट्रोल के मकान–रेन्ट कन्ट्रोल, 1972 के अधिनियम के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगरपालिका परिषद स्वार प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होगा बल्कि अब इनके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदारों की होगी।

9–कर निर्धारण दर–भवन पर आंगणित वार्षिक किराया मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर एवं 10 प्रतिशत जलकर निर्धारित होगा।

10–वार्षिक मूल्य के निर्धारण में छूट–(1) स्वः अध्यासित भवनों के लिये छूट स्वः अध्यासन की अवधि की गणना उसके कर निर्धारण वर्ष से उसमें उल्लिखित मकानियत में निम्न प्रकार की छूट देय होगी–

(क) 10 वर्ष पुराने स्व अध्यासित आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ख) 10 से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन मे 32.5 प्रतिशत की छूट होगी।

(ग) 20 से अधिक वर्ष पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) किराये पर उठे भवन–(क) किराये पर उठे व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन अनुबन्ध में उल्लिखित वास्तविक किराये या किराया मूल्यांकन जो कम हो पर किया जायेगा।

(ख) किराये पर उठे आवासीय भवन जो 10 वर्ष पुराने होंगे, का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगा।

(ग) 10 से 20 वर्ष तक पुराने आवासीय भवनों का वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक होगा।

(घ) 20 वर्ष से अधिक पुराने किराये पर उठे भवनों का वार्षिक मूल्यांकन भवनों के निर्धारित वार्षिक किराया मूल्यांकन के समान होगा।

गैर आवासीय भवन के वार्षिक किराये मूल्य की गणना

क्रमसं0	सम्पत्ति का प्रकार	गुणांक
1	2	3
1	वाणिज्यिक परिसर, दुकानें, बैंक कार्यालय, 3–स्टार तक होटल, प्राईवेट होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित को छोड़कर)	5
2	क्लीनिक, पॉली क्लीनिक, निदान केन्द्र, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर और हेल्थ सेन्टर	3
3	क्रीड़ा केन्द्र, अर्थात् जिम, शारीरिक फिटनेस सेन्टर, थियेटर, सिनेमा हॉल	2
4	अधिनियम की धारा 177 सी के तहत आच्छादित संस्था को छोड़कर शैक्षिक संस्थान एवं छात्रावास	1
5	पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम	3
6	मॉल, 4-सितारा होटल, पब, बार और होटल जहां शराब परोसे जाते हैं।	6
7	सामुदायिक केन्द्र, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी तरह की इमारतें	3
8	औद्योगिक इकाईयां , सरकारी, अर्ध सरकारी और पी0एस0यू0 के कार्यालय	3

1	2	3
9	टावर और होर्डिंग, टीवी टावर , संचार टावर और किसी अन्य टावर का निर्माण जो खुले क्षेत्र में या इमारत की छत में किया जाता है	4
10	इमारतें जो ऊपर आच्छादित नहीं हैं	3

11–कर मुक्ति–(क) स्वामी द्वारा अध्यासिता ऐसा कोई भवन जो 30 वर्गमीटर पर निर्मित किया हो उसका कारपेट ऐरिया 15 वर्गमीटर तक हो तथा उसका स्वामित्व नगर पालिका परिषद स्वार में कोई अन्य भवन न हो गृहकर से मुक्त होगा।

(ख) भवनों और भूमि या उसके भाग, जिनका अधिभोग और उपयोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त , मान्यता प्राप्त शैक्षिणक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो।

(ग) भवन, जिनका उपयोग अनन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में किया जाता हो, चाहे वे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हों अथवा नहीं हो। शैक्षणिक गतिविधियों से इतर परिसर कर मुक्ति दायरे से बाहर होंगे।

(घ) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि।

(ङ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हो।

(च) भारत सरकार में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबंध लागू होते हों।

12–विशेष वर्गों के लिये प्रावधान–जहां नगरपालिका परिषद् की राय में गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले विधवा, विकलांग एवं गरीब, भवन एवं भवन स्वामी की आसाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपयुक्त रूप से गणना की गई हो, अत्याधिक हो, वह नगर पालिका किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यपूर्ण प्रतीत हों, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि वार्षिक मूल्य शून्य नहीं किया जा सकता है।

13–शास्ति एवं अर्थदण्ड–बिना समुचित कारण के उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल रहने, उपनियमों का उल्लंघन करने या भवन से सम्बन्धित किसी प्रकार का तथ्य छिपाने पर, कोई व्यक्ति रु0 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक शास्ति भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

14–उपसंहार–इस नियमावली के प्रचलन में आते ही नगरपालिका परिषद्, स्वार की पूर्व में लागू गृहकर-जलकर नियमावली स्वतः ही खण्डित मानी जायेगी। यद्यपि कि पूर्व प्रचलित उपविधि के अन्तर्गत सभी अवशेष देयताओं की वसूली की जायेगी।

खण्ड (ख)

नगर में स्थित मोहल्लों में आवासीय भवनों पर स्वःकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित मूल्य (प्रति वर्ग फुट)

ए–श्रेणी के मोहल्ले–

मार्ग की चौड़ाई											
8 मी0 तक				8 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से कम				16 मीटर से अधिक			
रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन
0.10	0.80	0.90	1.00	0.15	0.90	1.00	1.10	0.25	1.00	1.10	1.20

बी–श्रेणी के मोहल्ले–

मार्ग की चौड़ाई											
8 मी0 तक				8 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से कम				16 मीटर से अधिक			
रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन
0.10	0.70	0.80	0.90	0.15	0.80	0.90	1.00	0.15	0.90	1.00	1.10

सी– श्रेणी के मोहल्ले–

मार्ग की चौड़ाई											
8 मी0 तक				8 मीटर से अधिक किन्तु 16 मीटर से कम				16 मीटर से अधिक			
रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन	रिक्त	कच्चा भवन	अर्ध पक्का भवन	पक्का भवन
0.05	0.50	0.60	0.70	0.10	0.60	0.70	0.80	0.10	0.70	0.80	0.90

खण्ड (ग)

सम्पत्ति के हस्तानान्तरण/सम्पत्ति रजिस्टर में नाम परिवर्तन सम्बन्धी नियम

1–यदि किसी भवन अथवा भूमि जिस पर कर आरोपित है, उसका स्वामित्व हस्तानान्तरित होता है तो, स्वत्व हस्तानान्तरति करने वाले व्यक्ति या संस्था, हस्तानान्तरण के 3 माह के अन्दर उसकी सूचना, बैनामे कर प्रमाणित छायाप्रति व अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सम्पत्ति क्रय की धनराशि या वर्तमान प्रचलित सर्किल रेटों के अनुसार सम्पत्ति की कीमत (जो अधिक हो) का एक प्रतिशत की धनराशि नामान्तरण शुल्क के रूप में नगर पालिका परिषद स्वार में जमा करते हुये अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद स्वार को नामान्तरण हेतु आवेदन प्रेषित करना होगा। अन्यथा की स्थिति में रू0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा। नामान्तरण शुल्क जमा करने का दायित्व स्वत्व पाने वाले व्यक्ति या संस्था का होगा।

2–यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो वारिस/उत्तराधिकारी द्वारा मृत्यु की दिनांक से तीन माह के अन्दर नामान्तरण शुल्क के साथ लिखित सूचना अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद स्वार को प्रेषित करनी होगी। अन्यथा रु0 250.00 प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा। नामान्तरण शुल्क उपविधि के खण्ड (ख) के प्रचलित मोहल्ले की श्रेणी ए, बी एवं सी हेतु क्रमशः रु0 500.00, रु0 300.00 एवं रु0 200.00 निर्धारित किया जाता है। विधवा, विकलांग, एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का नामान्तरण निःशुल्क किया जायेगा।

3–नामान्तरण के आवेदन का निस्तारण अधिकतम 3 माह के अन्दर कर दिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
स्वार (रामपुर)।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां, लखीमपुर खीरी

25 सितम्बर, 2020 ई0

सं0 3007/न0पा0परि0पलिया/नियमावली/भ0नि0/गजट/2020-21—उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 सूची (1) उपखण्ड (क), क, ख, ग, घ, ङ, के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, पलिया कलां की सीमा के अन्तर्गत ''भवन निर्माण'' नियमावली जिसको नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां ने अपनी बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2019 के प्रस्ताव संख्या 03 (i) द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है तैयार उपविधि को उ0प्र0न0पा0अधि0, 1916 की धारा 301(2) के अनुसार उन व्यक्तियों के लिये जिनपर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है या प्रभावित हो सकते हैं निम्नवत् प्रख्यापित करते हुये इस नियमावली की मुनादि करायी गयी व हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के अंक में प्रकाशन कराते हुये प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर दावा/आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। किन्तु निर्धारित समयावधि में कोई भी दावा/आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं है। अतः यह नियमावली/उपविधि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवन निर्माण नियमावली, 2020

1—**शीर्षक**—यह उप नियमावली नगरपालिका परिषद् पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी ''भवन निर्माण'' उप नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह उपनियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगरपालिका परिषद् समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उप नियमावली में—

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्रा0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/ प्रशासक से है।

(ङ) **''नगरपालिका परिषद्''** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी से है।

(च) **''नगरपालिका की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4—**नोटिस**—कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी है और उसे किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और वह उस पर निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त ऐक्ट की धारा 178(2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां के अधिशासी अधिकारी को एक लिखित नोटिस देगा।

5—**प्लान**—इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन के निर्माण अथवा पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट पर हो सकते हैं। उपर्युक्त नोटिस तब तक अमाननीय समझा जायेगा। यदि सम्बन्धित व्यक्ति यह नोटिस नहीं देता है कि उसने उस शुल्क का भुगतान नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां को कर दिया है। तो जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न करना होगा। यदि किसी कारण से नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाता है और भू-स्वामी द्वारा पालिका को शुल्क जो अदा कर दिया गया है वह भवन स्वामी को मानचित्र की स्वीकृति हेतु दिये गये शुल्क के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर किसी प्रकार निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता है तो वह दो प्रतियों में नोटिस देगा और नोटिस के साथ नक्शे प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां नोटिस एवं नक्शे की दो प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नोटिस देने के लिए भेजेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर इस बात की सूचना नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां को देगा कि उन्हें इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है या नहीं यदि उक्त पदाधिकारी नगरपालिका परिषद्, पलिया कलां को दो सप्ताह के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाती हैं तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर कोई आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6–इस प्रकार प्रस्तुत सभी नक्शे 1 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढ़ंग से खींचे होने चाहिए और स्केल मानचित्र पर अंकित होनी चाहिये और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिये मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिए–

(क) मानचित्र में उस भू-खण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाप तथा अधार दर्शाना चाहिये तथा भू-खण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिये। मानचित्र से उस भू-खण्ड की चौहद्दी भी साफ-साफ दर्शानी चाहिये तथा उस भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिये।

(ख) मानचित्र से शटर और परनाले का गन्दे पानी की निकास की नालियों का उल्लेख होना चाहिए।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे शौचालय स्नानागार आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिए।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए–

[1] भू-तल और उससे मिली हुई नालियों, सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

[2] सड़कों का परिमाप एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि शयनकक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि।

[3] भू-तल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल।

[4] दो मंजिल से अधिक के भवन निर्माण हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/स्वीकृति उपरान्त पालिका में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

[5] मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलीवेशन दर्शाना चाहिए।

[6] कुर्सी का लेबिल तथा अभिन्यास प्लान से लगी सड़कों का लेबिल दर्शाना अनिवार्य होगा।

[7] दरवाजों, खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरी का प्रकार एवं माप दर्शाना अनिवार्य होगा।

[7] सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद दीवारें, छतें तथा फर्श का निर्माण होना है।

(ङ) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यों को विभिन्न रंगों से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए जैसे प्रस्तावित लाल रंग से वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना अनिवार्य होगा।

7–शुल्क उपनियम 3 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा :

क्र0 सं0	विवरण	भूतल प्रति वर्ग मी0	अतिरिक्त तल (प्रति) प्रति वर्ग मी0
1	आवासीय भवन का निर्मित क्षेत्र	15.00	12.00
2	आवासीय भवन का खुला क्षेत्र	10.00	8.00
3	व्यवसायिक भवन/दुकान का निर्मित क्षेत्र	60.00	40.00
4	व्यवसायिक भवन/दुकान का खुला क्षेत्र	50.00	30.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि का निर्मित क्षेत्र	40.00	25.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि का खुला क्षेत्र	30.00	20.00

1–प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का निर्मित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) एवं खुला क्षेत्र (ओपन एरिया) पर निर्धारित शुल्क होगा।

2–भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु पालिका के पंजीकृत नक्शा नवीश से मानचित्र तैयार कराकर गृह स्वामी/भू-स्वामी को देना अनिवार्य होगा।

3–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष हेतु मान्य होगी। विषम परिस्थितियों में उक्त का एक बार नवीनीकरण किया जा सकता है।

4–(क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्णतः पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण पाया गया तो स्वीकृति रद्द समझी जायेगी।

(ग) भू-तल पर सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाता है तो नाला/नाली से से 1.20 मीटर चौड़ा स्थल छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

5–**धार्मिक स्थल**–मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरूद्वारा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उन स्थलों के बीच से 1.00 मीटर की दूरी पर न हो।

6–बिजली के तार बिजली के तारों से दूरी उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन ऐक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लेखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहेबान या ऐसी किसी प्रकार की चीज का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

7–**शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास**–ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण करेगा जो कि सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर होगा तो उसे अपने भवन के पानी को नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

8–भवन में फ्लैश लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लैश लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

9–नालियां भवन की नालियां सीमेन्ट कंकरीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनाई जायेंगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़वाना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा।

10–बरसाती पानी के छतों से उतरने हेतु पाइप लगाने होंगे।

11–**पिलिन्थ/कुर्सी**–भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12–**भवन की ऊँचाई**–भूतल पर फर्श से छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13–(क) भवन में व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर (23.63 फिट) होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर (7.87 फिट) रखी जायेगी।

(ख) कमरें में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे जिसकी माप 2.5 × 3 फिट से कम न हो।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) **जीना**-बहुमंजिलें भवनों के हवादार जीने का निर्माण कराना आवश्यक होगा।

14–किसी भी ऐसे भू-खण्ड पर आवासीय भवन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जहां पर कूड़ा एवं गन्दे पदार्थों का ढेर लगाया जाता हो तब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी उसके लिए अपनी स्वीकृति न दे दें।

15–**जानवरों का बाड़ा**-जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।

16–(क) नक्शा स्वीकृत करने से पहले भू-खण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से, कर विभाग से आख्या ली जायेगी।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक या जैसी स्थिति हो से रोशनी एवं वेन्टीलेशन एवं शौचालय आदि के आख्या आदि के पश्चात् नक्शा स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) जब अधिशासी अधिकारी यह इत्मीनान कर लेंगे कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरी करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार के भवन विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेंगे इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।

(ङ) भूमि के टाइटिल के सम्बन्ध में विवाद होने की दशा में सक्षम न्यायालय ही तय करेगा। भूमि के टाइटिल के विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में भवन मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

शास्ति

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपया पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
पलिया कलां, खीरी।

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सूचना

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस)

संख्या 2560/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलाल गंज, लखनऊ" बनायी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं–

उत्तर–खसरा संख्या 118, 119, 120, 121, 122, 115, 114, 113, शारदा नहर ग्राम–हबुआपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व शारदा नहर, ग्राम–सिठौली कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

पूरब–खसरा संख्या 531, 532, 533, 534, 537, 538, ग्राम–सिठौली कलां, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ व खसरा संख्या 95, 93 भाग 94, भाग 108, 109, 110, 113, 91, 90, 91, 81 भाग (सिठौली कलां लिंक मार्ग, ग्राम–सिठौली खुर्द परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ एवं खसरा संख्या 72, 73, 70, भाग 71, भाग 72, 305, भाग 300, 301, 302, 305, भाग 57, 55, भाग 54, भाग 51, 311, भाग 49, भाग 312, भाग (नहर), 331, 337, 338, 352, 351, 363, भाग 393, भाग 398, 390, 389, 388, ग्राम–सिठौली खुर्द, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

दक्षिण–खसरा संख्या 48 (नाला), 47, 46, 45, 38, 27, 26, 23, 21, 20, 4, 1, ग्राम–सेमरा पीतपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व खसरा संख्या 696, 695, 694, 693, (नहर), 690, 689 भाग, 688, 668, 667, 666, 665, 672 ग्राम–मोहारी कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

पश्चिम–गोसाईगंज से मोहनलाल गंज रोड (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 56 बी0, नई जेल रोड) ग्राम–मोहारी कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व गोसाईगंज से मोहनलाल गंज रोड (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 56बी0, नई जेल रोड) ग्राम–हबुआपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, द्वितीय तल, आफिस काम्प्लेक्स, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, द्वितीय तल, आफिस काम्प्लेक्स, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में ली जायेंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

December 18, 2020

NOTICE

(Notice under section 28 of the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, U.P. Act. No. 1, 1966)

No. 2560/LAC/HQ–The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "New Jail Road, Bhoomi Vikas Evam Grihasthan Yojana Mohanlalganj, Lucknow" to solve the housing problem of the Lucknow City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows :

North-Khasra no. 118, 119, 120, 121, 122, 115, 114, 113, Sharda Canal Village-Habuwapur, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow, Sharda Canal, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

East-Khasra no. 531, 532, 533, 534, 537, 538 Village-Sithauli Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Khasra no. 95, 93 Part 94, Part, 108, 109, 110, 113, 91, 90, 91, 81 Part (Sithauli Kala Link Road, Village-Sithauli Khurd, Pargana & Tahsil-Mohanlalaganj, District-Lucknow) & Khasra no. 72, 73, 70, Part, 71, Part 72, 305, Part 300, 301, 302, 305, Part 57, 55, Part, 54, Part 51, 311, Part 49, Part 312, Part (Canal), 331, 337, 338, 352, 351, 363, Part 393, Part 398, 390, 389, 388, Village-Sithauli Khurd, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

South-Khasra no. 48 (Drain), 47, 46, 45, 38, 27, 26, 23, 21, 20, 4, 1, Village-Semra Peetpur, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Khasra no. 696, 695, 694, 693 (Canal), 690, 689, Part 688, 668, 667, 666, 665, 672, Village-Mohari Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

West-Gosainganj to Mohanlalganj Road, (N.H. No.- 56B. New Jail Road) Village-Mohari Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Gosainganj to Mohanlalganj Road, (N.H. No. 56B. New Jail Road), Village-Habuwa, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

The details of Land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division-8, U.P. Awas Evam Vikas Prishad,

2nd floor, Office Complex, Bhootnath Market, Indira Nagar, Lucknow on any working day between 11:00 a. m. to 3:00 p.m.

Land Owners will be lible to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite rules/provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam,1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division-08, U.P. Awas Evam Vikas Prishad, 2nd floor, Office Complex, Bhootnath Market, Indira Nagar, Lucknow within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no Objection shall be considered. Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number/Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme should be mentioned clearly.

AJAY CHAUHAN,
Housing Commissioner.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्ट गुप्ता जी का हाता, द्वितीय मोतीनगर लेन, ऐशबाग रोड, लखनऊ, रजि0 नं0 203231 का पंजीकरण दिनांक 17 जुलाई, 2017 को कराया गया था, जिसमें सुधीर कुमार गर्ग प्रथम एवं स्मृति बंसल द्वितीय साझीदार थे, जिसमें द्वितीय साझीदार दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 से फर्म से हट गये हैं। जिनके स्थान पर कृषांशु गर्ग को दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 से शामिल कर लिया गया है। उक्त तिथि से पूर्व के द्वितीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में सुधीर कुमार गर्ग प्रथम एवं कृषांशु गर्ग द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सुधीर कुमार गर्ग,
साझेदार,
मेसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्ट,
गुप्ता जी का हाता, द्वितीय मोतीनगर लेन,
ऐशबाग रोड, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमर बहादुर सिंह एण्ड अदर्स करोमा हरहुआ, वाराणसी का गठन दिनांक 16 मार्च, 2011 को हुआ है, जिसमें अमर बहादुर सिंह व दिनेश कुमार सिंह दो साझीदार थे। दिनांक 01 अक्टूबर, 2011 को फर्म में नये साझीदार के रूप में हरिशंकर सिंह पुत्र शारदा सिंह व रामचरन पुत्र बीरबल को शामिल किया गया। इस प्रकार फर्म में कुल चार साझीदार हो गये। दिनांक 20 मार्च, 2015 को रामचरन पुत्र बीरबल अपनी स्वेच्छा से फर्म से निकल गये। इस प्रकार फर्म में अमर बहादुर सिंह, दिनेश कुमार सिंह और हरिशंकर सिंह साझीदार के रूप में रह गये। दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को हरिशंकर सिंह भी फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये। ऐसी स्थिति में फर्म में अब अमर बहादुर सिंह व दिनेश कुमार सिंह ही साझीदार के रूप में रह गये हैं।

अमर बहादुर सिंह,
मेसर्स अमर बहादुर सिंह एण्ड, अदर्स,
ग्राम–करोमा, पो0–हरहुआ, वाराणसी।

सूचना

मैं, रीता सिंह पत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह, निवासिनी 625-ए, बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, इलाहाबाद यह सूचित कर रही हूं कि दिनांक 25 मई, 1997 को विवाह के उपरान्त अपना पूर्व नाम राजपुत रीता जे0एल0 सिंह से परिवर्तित कर रीता सिंह कर लिया है। उक्त तिथि के पश्चात् मेरे समस्त आलेख, कार्य व हस्ताक्षर रीता सिंह के नाम से ही किये जा रहे हैं जो कि पूर्णरूप से विधिसम्मत तथा विधिमान्य हैं। अतः मुझे पूर्व नाम राजपुत रीता जे0एल0 सिंह के स्थान पर रीता सिंह के नाम से पढ़ा लिखा व समझा जाये।

रीता सिंह।

सूचना

सर्वसूचित हो, मैंने अपने नाम महावीर प्रसाद के आगे वर्मा जोड़ लिया है, अब मुझे पूर्व में जहां कहीं भी महावीर प्रसाद लिखा हो तथा भविष्य में महावीर प्रसाद वर्मा पुत्र श्री दधिबल वर्मा, निवासी म0नं0-27/17, मानस गार्डेन कालोनी, उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ के नाम से जाना-पहचाना जाये।

महावीर प्रसाद वर्मा,
निजी सचिव,
मानस गार्डेन कालोनी,
उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम मोहन लाल बागड़ी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश महेश्वरी से बदलकर मोहन महेश्वरी रख लिया है। भविष्य में मुझे मोहन महेश्वरी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश महेश्वरी, निवासी 4/2, पुराना कोठापार्चा किराना बाजार, फर्रूखाबाद के नाम से जाना व पहचाना जाये एवं मेरे समस्त अभिलेखों में मेरा उक्त नाम दर्ज कर लिया जाये।

मोहन लाल बागड़ी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "बृज मोहन राज कुमार", मण्डी कोटला चांदपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 को बृज मोहन बंसल पुत्र श्री मुरारी लाल, निवासी मोहल्ला कोटला चांदपुर, जिला बिजनौर की मृत्यु हो गई है तथा दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 को श्रीमती स्वाति बंसल पत्नी श्री विपिन बंसल, निवासी मण्डी कोटला, चांदपुर, बिजनौर शामिल हो गई हैं तथा उक्त फर्म पर मृतक पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्री राजकुमार बंसल व श्रीमती स्वाति बंसल रह गये हैं।

राजकुमार बंसल,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स "बृज मोहन राजकुमार",
मण्डी कोटला चांदपुर,
जिला बिजनौर (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0—40 हिन्दी गजट—भाग 8—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 2 जनवरी, 2021 ई० (पौष 12, 1942 शक संवत्)

स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र

कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति मण्डल-2, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निविदा निरस्तीकरण सूचना

सूचना संख्या-825(1)/Equip-II/U-6/TE-936/2020-21

28 नवम्बर, 2020 ई0

आई0एस0आई0 मार्क्ड रिवायरेबुल टाइप स्विच फ्यूज यूनिट 100 एम्पियर जो IS/IEC:60947 (Part-1) 2004, (Part-III) 1999 या कोई नवीनतम संशोधन हो, हेतु की आपूर्ति हेतु आमंत्रित ई-निविदा सूचना संख्या टी0ई0-936/2020-21 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधीक्षण अभियन्ता।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER CENTRAL EQUIPMENT &
STORES PROCUREMENT CIRCLE-II, IRRIGATION DEPARTMENT,
U. P., LUCKNOW

TENDER CANCELLATION NOTICE

NOTICE No. 825(1)/ Equip-II/U-6/TE-936/2020-21

Lucknow : *dated November* 28, 2020

Online e-bids Notice No. TE-936/2020-21 invited for the Supply of ISI Marked air break Rewirable Type Switch Fuse Unit 100 Amp., as per IS/IEC:60947 (Part-I) 2004, (Part-III) 1999 or latest amendments if any, as per departmental technical specifications, is cancelled under unavoidable circumstances.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Superintending Engineer.

कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति मण्डल-2, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

इनवीटेशन फार बिड्स

ई-निविदा सूचना संख्या-टी0ई0-937/2020-21

01 दिसम्बर, 2020 ई0

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिवायरेबुल टाइप स्विच फ्यूज यूनिट 63 एम्पियर, 100 एम्पियर व 200 एम्पियर जो IS/IEC:60947 (Part-I) 2004, (Part-3) 1999 या नवीनतम संशोधन यदि कोई हो के अनुरूप कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु जल प्रबन्ध के लिये सबमर्सिबिल/वीटी पम्पसेट के संचालन के प्रयोगार्थ, आपूर्ति हेतु ई-निविदा तीन भागों यथा ए-धरोहर धनराशि, बी-तकनीकी भाग, सी-प्राइस भाग द्वारा बी0आई0एस0 लाइसेन्स धारक आई0एस0ओ0:9001 प्रमाणित मूल निर्माता फर्मों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रस्तुत करने का विस्तृत विवरण उ0प्र0 सरकार की ई-प्रक्योरमेण्ट वेबसाइट **http://etender.up.nic.in.** पर अपलोड निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं की निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदित सामग्री की अंग्रेजी एवं हिन्दी की निविदा सूचना में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी की निविदा सूचना मान्य होगी। निविदा से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की स्थिति निम्नवत् है–

ए	Three phase, Triple pole with neutral link weather proof, metal clad, air break Rewirable Type Switch Fuse Unit of following ratings as per IS/IEC:60947 (Part-I) 2004, (Part-3) 1999 or latest amendments if any.	
	63 एम्पियर	25 अदद
	100 एम्पियर	2500 अदद
	200 एम्पियर	200 अदद
बी	वेबसाइट पर निविदा प्रपत्रों की उपलब्धता की तिथि एवं समय	08-12-2020 को 17.00 बजे से
सी	पी0डी0एफ0/एक्स0एल0एस0 फार्मेट में आन-लाइन निविदा प्रस्तुत करने की अवधि	15-12-2020 को 17.00 बजे से 01-01-2021 को 14.00 बजे तक
डी	विभागीय तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार फर्म द्वारा निर्मित प्रत्येक रेटिंग के एक स्विच फ्यूज यूनिट का सैम्पुल विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति यूनिट-6, सिं0वि0, उ0प्र0, लखनऊ में जमा कराना	04-01-2021 को 12.00 बजे तक
ई	निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बिड सिक्योरिटी का आन-लाइन जमा करने का प्रमाण/ई0एम0डी0 में छूट हेतु इण्डस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं निविदा प्रपत्र के अनुसार अन्य आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय में जमा करने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय	04-01-2021 को 14.00 बजे तक
एफ	निविदा के धरोहर धनराशि से संबंधित भाग 'ए' को आनलाइन खोले जाने की तिथि एवं समय	04-01-2021 को 15.00 बजे
जी	निविदा के तकनीकी भाग से संबंधित भाग 'बी' को आनलाइन खोले जाने की तिथि एवं समय	06-01-2021 को 15.00 बजे

एच	निविदा के वित्तीय भाग से सम्बन्धित भाग 'सी' को आनलाइन खोले जाने की तिथि एवं समय	12-01-2021 को 15.00 बजे
आई	आन-लाइन निविदा खोले जाने का स्थान	कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार आपूर्ति मण्डल-2, गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ-226025, दूरभाष-0522-2442475
जे	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु0 14,800.00 (रुपये चौदह हजार आठ सौ मात्र)
के	धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट)	रु0 83,500.00 (रुपये तिरासी हजार पांच सौ मात्र)
एल	आपूर्ति अवधि (स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से) पूरे उत्तर प्रदेश में	45 दिवस।

नोट–(1) निविदा सूचना, सूचना एवं जन संपर्क विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in.** व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वेबसाइट **http://idup.gov.in.** पर उपलब्ध है।

(2) निविदा सम्बन्धी संशोधन उ0प्र0 सरकार की ई-प्रक्योरमेंट की अधिकृत वेबसाइट (**http://etender.up.nic.in.)** पर ही उपलब्ध होगा।

(3) उपरोक्त अंकित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, अगले कार्य दिवस को निविदा प्राप्त/खोली जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधीक्षण अभियन्ता।

पी0एस0यू0पी0–40 हिन्दी गजट–स्टोर्स पर्चेज–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।